डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026

आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-22, अंक-25, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित

27 नवंबर 2024, बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, नि :शुल्क

बस्तर में लाल नहीं, अब विकास की हरियाली

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चित्रकोट में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक हुई, इंफ्राट्रक्चर, इको टूरिज्म और जनकल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बस्तर का नक्शा अब बदल रहा है। कभी जिन इलाकों को नक्सलियों का लाल गलियारा माना जाता था। ऐसे इलाके अब विकास के गलियारे के रूप में जाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में चित्रकोट में आयोजित बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में बस्तर में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही बस्तर अंचल के पर्यटन के लिए चिन्हित स्थानों को विकसित करने के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में बस्तर में एनएमडीसी द्वारा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण के संबंध में भी चर्चा की गई। इस मौके पर श्री साय ने सौर समाधान और मनो बस्तर एप्प लॉन्च किया तथा सौर ऊर्जा चलित पॉवर बैंक का शुभारंभ किया।

- **टूरिज्म कॉरिडोर:** बस्तर के पर्यटन को मिलेगा नया आयाम।
- **सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल:** बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का वादा।

फिर मुस्कुराएगा मेरा बस्तर

सरकार ने बस्तर और सरगुजा के विकास पर अपना ध्यान विशेष रूप से केंद्रित किया है। जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं होगी। मेरा बस्तर फिर मुस्कुराएगा इसके लिए काफी राशि उपलब्ध है। नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, पेयजल, बिजली, मोबाइल टॉवर जैसी अधोसंरचनाएं अंदरूनी गांवों तक पहुंचा रही हैं। योजना के तहत 34 नए सुरक्षा कैंप खोले गए हैं जहां ग्रामीणों को विभिन्न सुविधाएं भी दी जा रही हैं।

- **स्थान:** बस्तरिया बटालियन कैंप, सेडवा, जिला नारायणपुर
- **मुख्य उद्देश्य:** जवानों से भेंट और परिवारों से संवाद

जवानों के साथ रात बिताने वाले पहले मुख्यमंत्री

लगातार चल रहे नक्सल ऑपरेशन के बीच मुख्यमंत्री श्री साय जवानों के साथ कैंप में रात बिताई, और सुरक्षा बलों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। जवानों के साथ उन्होंने रात का भोजन किया। जवानों को भोजन भी परोसा। उनकी सादगी, व्यवहार और अपनेपन ने सभी जवानों का दिल जीत लिया। प्रदेश के संवेदनशील मुखिया श्री साय का सरोकार एवं जुड़ाव सभी किसानों और जवानों के साथ ही उनके परिवारों से भी समान रूप से है। अपने अतिथि को उनके मनपसंद व्यंजन खिलाने की संस्कृति भी हमारी परंपरा में है।

कांकेर को राष्ट्रीय स्तर पर मिला "बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड"

नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित भव्य समारोह में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले को "बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड" से सम्मानित किया गया। यह सम्मान केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायतीराज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने विश्व मात्स्यिकीय दिवस के अवसर पर प्रदान किया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कांकेर जिले के मत्स्य कृषकों, अधिकारियों और राज्य के सभी मछलीपालकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह अवार्ड छत्तीसगढ़ की कड़ी मेहनत और योजनाबद्ध प्रयासों का परिणाम है।

मत्स्य पालन को बढ़ावा

- 7.30 लाख टन प्रदेश में वार्षिक मत्स्य उत्पादन।
- 546 करोड़ मत्स्य बीज का वार्षिक उत्पादन।
- 1 से 3 प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को ऋण सुविधा।

माइक्रो एटीएम से निकाल सकेंगे 10 हजार

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। धान केन्द्रों में पहुंचे किसान अब वहां माइक्रो एटीएम से दो हजार रूपए से लेकर दस हजार रुपए तक की राशि निकाल सकेंगे। राज्य में 14 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। शासन द्वारा किसानों को उनके द्वारा बेचे गए धान के एवज में 72 घंटे के भीतर उनके बैंक खातों में भुगतान की व्यवस्था भी शासन ने सुनिश्चित की है। विपणन संघ मुख्यालय स्तर पर शिकायत निवारण हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है जिसका नम्बर 0771-2425463 है।

रायपुर से सिंगापुर और दुबई की उड़ानें जल्द शुरू

मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापु राममोहन नायडू से मुलाकात कर रायपुर एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत का प्रस्ताव रखा। मंत्री ने सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करने पर अपनी सहमति जताई है। रायपुर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने और कार्गो हब बनाने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। बिलासपुर एयरपोर्ट पर नाईट लैंडिंग सुविधा और अंबिकापुर से नई उड़ानें शुरू करने पर भी सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जगदलपुर और अन्य शहरों को जोड़ने पर जोर दिया।

छत्तीसगढ़ की ऊंची उड़ान

- रायपुर से सिंगापुर और दुबई की सीधी उड़ानें जल्द होंगी शुरू।
- रायपुर एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय कार्गो हब विकसित करने की योजना।
- बिलासपुर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा जल्द होगी उपलब्ध।

ओलंपिक में गोल्ड लाने पर मिलेगा तीन करोड़

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं को 2 करोड़ रुपये, और कांस्य पदक विजेताओं को एक करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। ट्राफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन स्पर्धा के समापन समारोह में कहा कि छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर अधो-संरचनाएं और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उपलब्धि

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव के प्रति जताया आभार

गुरु घासीदास-तमोर पिंगला बना देश का 56 वां टाइगर रिजर्व

छत्तीसगढ़ को बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 'गुरू घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व' के रूप में एक नया टाइगर रिजर्व मिल गया है। यह टाइगर रिजर्व देश का 56 वां टाइगर रिजर्व होगा।

छत्तीसगढ़ में तीन अन्य टाइगर रिजर्व है

जिसमें अचानकमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व है। इस टाइगर रिजर्व की स्थापना के साथ, राज्य में टाइगर रिजर्व की कुल संख्या चार हो गई है।

गुरू घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व

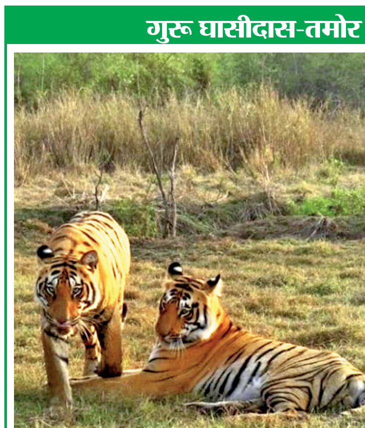

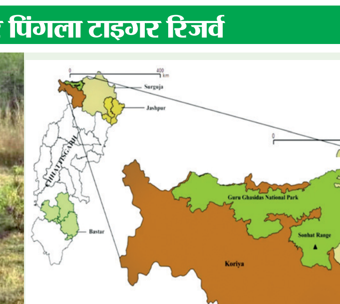

- कुल क्षेत्रफल- 2829.387 वर्ग किमी
- इन जिलों से लगी हैं सीमाएं- चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर।

नागार्जुनसागर-श्रीसैलम टाइगर रिजर्व (आंध्रप्रदेश): 3296.31 वर्ग किमी है। यह देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है।

मानस टाइगर रिजर्व (असम): 2837.1 वर्ग किमी है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है।

गुरूघासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व: 2829.387 वर्ग किमी है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा।

रिक्रूटमेंट नोटिस

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू)
पद : लिपिक (एलडीसी) और विभिन्न पद
पद संख्या: 33
अंतिम तिथि: 28 नवंबर 2024
ncw.nic.in

एनआईटी
पद : फैकल्टी
पद संख्या: 132
अंतिम तिथि: 28 नवंबर 2024
www.nitj.ac.in

एमपी राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम
पद: लीड ट्रेनर सहित अन्य
पद संख्या: 199
अंतिम तिथि: 2 दिसंबर 2024
services.mp.gov.in

रेलवे भर्ती सेल, गुवाहाटी
पद: अपरेंटिस
पद संख्या: 5647
अंतिम तिथि: 3 दिसंबर 2024
app.nfr-recruitment.in/

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
पद: स्पेशलिस्ट ऑफिसर
पद संख्या: 253
अंतिम तिथि: 3 दिसंबर 2024
centralbankofindia.co.in

आरपीएससी
पद : स्कूल लेक्चरर
पद संख्या: 2202
अंतिम तिथि: 04 दिसंबर 2024
rpsc.rajasthan. gov.in/

मेडिकल यूनिवर्सिटी
पद: ग्रुप बी, सी
पद संख्या: 332
अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2024
www.kgmu.org

वर्ष-22, अंक-25, रायपुर

रोजगार और नियोजन

प्रधान संपादक : डॉ. रवि मित्तल
संपादक : जवाहर लाल दरियो
सहायक संपादक : गीतांजलि नेताम
संपादकीय : अरविन्द मिश्रा, संदीप सिन्हा
ग्राफिक डिजाइनर : धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर : अंजुरानी, राकेश साहू
वितरण व्यवस्था : मोहन मिश्रा, विक्रांत

- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com

रोजगार और नियोजन नि:शुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

पिक ऑफ द वीक

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का बस्तरिया अंदाज में हुआ स्वागत गौरसिंग मुकुट पहनाकर किया गया अभिनन्दन

सुशासन के नए आयाम नवाचार और विकास की ओर कदम

नवा रायपुर में सुशासन पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ

नवा रायपुर में 21 एवं 22 नवंबर को आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में सुशासन के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श हुआ। इस महत्वपूर्ण आयोजन में देशभर से 150 प्रतिनिधियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य प्रशासन में नवाचार और सुशासन के सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना था। सम्मेलन के दौरान, प्रतिनिधियों ने अपने अनुभवों और नई पहल को साझा किया, जिससे शासन को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितैषी बनाने की दिशा में नए दृष्टिकोण सामने आए। समापन समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य

अपने विकास की नई गाथा लिख रहा है। राज्य सुशासन और समावेशी विकास के माध्यम से 2028 तक जीएसडीपी को 10 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

"मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना" की शुरुआत

- **उद्देश्य:** पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस में उच्च शिक्षा का अवसर। शासन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाना।
- **पाठ्यक्रम की विशेषताएं:** आईआईएम रायपुर में मास्टर पाठ्यक्रम। कक्षाओं के साथ व्यवहारिक अनुभव।
- **छात्रों को लाभ:** CAT परीक्षा के माध्यम से चयन। पाठ्यक्रम की पूरी फीस राज्य सरकार वहन करेगी। मासिक स्टायफंड प्रदान।

पीएम श्री स्कूलों में होगा म्यूजिकल बैंड का आयोजन

मुख्यमंत्री की अगुवाई में शिक्षा का समग्र विकास, पीएमश्री स्कूलों में निखर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बच्चों के सपने

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिकता और सर्वांगीण विकास के नए आयाम मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई पीएमश्री योजना के तहत राज्य के 341 स्कूलों का कायाकल्प करते हुए बच्चों को सर्वसुविधायुक्त और आधुनिक शिक्षा के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। जल्द ही पीएमश्री स्कूलों में छात्रों के लिए म्यूजिकल बैंड की स्थापना की योजना भी बनाई गई है, जिससे बच्चों में संगीत की रुचि बढ़ाई जा सकेगी और प्रार्थना भी संगीत उपकरणों के साथ होगी। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों में संगीत के आधुनिक उपकरण भेजने की तैयारी शुरू कर दी है।

डुन्डेरा की शासकीय प्राथमिक शाला बनी प्रेरणादायक उदाहरण

राजनांदगांव जिले के डुन्डेरा की शासकीय प्राथमिक शाला में पीएमश्री योजना के अंतर्गत करीब 4 लाख 15 हजार रुपये की लागत से स्कूल का व्यापक नवीनीकरण हुआ है। विद्यालय की दीवारों को ज्ञानवर्धक चित्रों से सजाया गया है, परिसर में हरियाली का

वातावरण है, और बच्चों के चेहरों पर खुशी की झलक दिखती है, जो स्कूल के माहौल को दर्शाती है।

बच्चों के समग्र विकास पर विशेष जोर

पीएमश्री स्कूलों में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद, संगीत, और व्यक्तित्व विकास की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, खेल मैदान, म्यूजिक क्लास रूम, और प्रेरणादायक पुस्तकालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा, स्वच्छ पेयजल, पौष्टिक भोजन और समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण जैसी मूलभूत सुविधाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा का नया दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है, जिसके तहत बच्चों को कक्षा 5 तक स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, बच्चों के ज्ञान को वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे आधुनिक विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।

आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी शिक्षा का नया दौर

पीएमश्री योजना के तहत आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी स्कूलों का विकास हो रहा है, ताकि वहां के बच्चों को भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के बच्चों का उज्जवल भविष्य आकार ले रहा है, और शिक्षा में सुधार की यह यात्रा निरंतर जारी है। पीएम श्री स्कूल में छत्तीसगढ़ के बच्चों के सपनों को साकार करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

सिविल जज भर्ती: साक्षात्कार दो दिसंबर से, शिड्यूल जारी

सिविल जज भर्ती-2023 के तहत इंटरव्यू 2 दिसंबर से शुरू होंगे। पीएससी से इसका शिड्यूल जारी किया गया है। इंटरव्यू के लिए 151 उम्मीदवारों को चिंहित किया गया है। कुल 49 पदों के लिए यह भर्ती हो रही है। इसके लिए पिछले साल आवेदन मंगाए गए थे और प्रारंभिक परीक्षा भी पिछले साल ही हुई थी। जनवरी 2024 में इसके नतीजे जारी हुए थे। प्रीलिम्स के आधार पर 542 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चिंहित किया गया था। यह परीक्षा अगस्त में हुई थी पिछले दिनों इसका रिजल्ट जारी हुआ। इसके अनुसार 151 उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के लिए हुआ है। यह 15 अंकों का होगा। साक्षात्कार 2 से 11 दिसंबर तक होगा।

नर्सिंग में 30 तक प्रवेश

नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश अब तीस नवंबर तक होंगे। इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आइएनसी) ने प्रवेश तिथि बढ़ाई है। प्राइवेट नर्सिंग कालेज संगठन ने चिकित्सा शिक्षा आयुक्त (डीएमई) को पत्र लिखकर प्रवेश तिथि बढ़ाने के लिए आइएनसी को पत्र लिखने का अनुरोध किया था।

क्लैट का एडमिट कार्ड जारी

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) एक दिसंबर को होगा। इसके लिए एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। इस परीक्षा के लिए जुलाई से अक्टूबर तक आवेदन मंगाए गए थे। प्रवेश पत्र वेबसाइट https://consortiumofnlus.ac.in पर जारी किए गए हैं।

आरआरसी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने 1791 पदों पर भर्ती

आरआरसी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने 1791 पदों पर भर्ती निकाली गई हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि दस दिसंबर निर्धारित किया गया है। कैसे करें आवेदन: ऑफिशियल वेबसाइट www.rrejaipur.in पर जाएं। शैक्षणिक योग्यता: मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 50% अंकों के साथ 10वीं पास। संबंधित ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमा। विस्तृत जानकारी अभ्यर्थी वेबसाइट www.cghealth.nic.in उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र एवं विस्तृत विज्ञापन खेल एवं युवा कल्याण विभाग के विभागीय वेबसाइट और संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रायपुर के सूचना पटल पर उपलब्ध है।

रोजगार और नियोजन डीपीआर की वेबसाइट पर

छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुरूप राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्र रोजगार और नियोजन अब डीपीआर की वेबसाइट https://dprcg.gov.in/

पर ऑनलाइन उपलब्ध हो रहा है। इससे पाठकों को नवीनतम नौकरी के अवसरों, करियर सलाह, और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। अब अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर पर समाचार पत्र को एक्सेस कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय गृहमंत्री से की मुलाकात

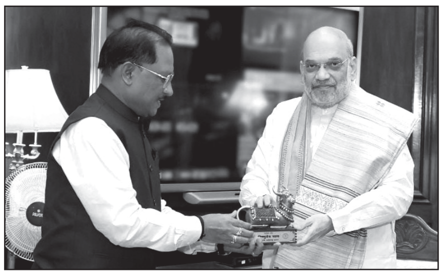

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा अभियानों, विकास परियोजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 11 महीनों में 200 नक्सलियों का खात्मा और 700 से अधिक का आत्मसमर्पण हुआ है। गृहमंत्री ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए नक्सलवाद उन्मूलन के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। दोनों नेताओं ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के लक्ष्य पर जोर दिया।

50,000 पीएम आवास (शहरी) का निर्माण पूर्ण

छत्तीसगढ़ में पिछले साल दिसम्बर में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद से शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में तेजी आई है। दिसम्बर-2023 से अक्टूबर-2024 के बीच पिछले 11 महीनों में ही करीब 50 हजार आवासों के निर्माण पूर्ण किए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हर गरीब के लिए आशियाने के सपने को पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहा है। दिसम्बर-2023 में राज्य में नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यों में तेजी लाते हुए 49 हजार 834 आवासों का काम पूर्ण किया गया है। इनमें विभिन्न शहरों के हितग्राहियों द्वारा अपनी खुद की जमीन पर बनाए गए 44 हजार 419 और योजना के साथ भागीदारी में किफायती आवासीय परियोजनाओं के माध्यम से निर्मित 5415 आवास शामिल हैं।

'द साबरमती रिपोर्ट' फिल्म टैक्स फ्री

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 'द साबरमती रिपोर्ट' फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। इस फिल्म में 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में हुए ट्रेन हादसे की कहानी की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि 'द साबरमती रिपोर्ट' फिल्म इसलिए भी देखी जानी चाहिए क्योंकि अतीत का अध्ययन ही हमें वर्तमान और भविष्य के बारे में बेहतर मार्गदर्शन दे सकता है। उन्होंने कहा है कि यह फिल्म इतिहास के उस भयावह सत्य को उजागर करने का अत्यंत सराहनीय और प्रभावशाली प्रयास है। फिल्म दर्दनाक घटना को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है।

शासकीय सेवकों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शासकीय सेवकों के आश्रितों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों के आश्रितों के लिए आय की अधिकतम सीमा को 3,050 रुपए से बढ़ाकर 7,750 रुपए प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से उन आश्रितों को लाभ मिलेगा जो परिवार पेंशन के पात्र नहीं हो पाते थे क्योंकि उनकी आय पूर्व निर्धारित सीमा से अधिक थी। अब नई सीमा के तहत वे भी परिवार पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। 2014 के बाद से आय सीमा में कोई संशोधन नहीं हुआ था। इस दौरान श्रमिकों की मजदूरी में लगातार वृद्धि हुई, जिससे कई शासकीय सेवकों के आश्रित आय सीमा के बाहर हो गए। वर्तमान में अर्द्ध कुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 10,900 रुपए प्रति माह तक पहुंच चुकी है। ऐसे में पुरानी आय सीमा अप्रासंगिक हो गई थी।

राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण 4 दिसंबर को

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण 4 दिसंबर को आयोजित होगा, जिसमें कक्षा तीसरी, छठवीं और नवमी के विद्यार्थियों की दक्षता का मूल्यांकन किया जाएगा। सर्वेक्षण के लिए राज्य के 33 जिलों में 3420 स्कूलों का चयन हुआ है। परीक्षा में छात्रों की भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की समझ का आकलन होगा। मूल्यांकन कार्य की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षु शिक्षकों को परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। विद्यार्थियों की बेहतर तैयारी के लिए प्रश्न बैंक और मॉक टेस्ट का आयोजन हो रहा है।

गाइड लाइन मूल्य पर रजिस्ट्री, मध्यम वर्ग को राहत

राज्य के मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए वरदान साबित होगा। संपत्ति की खरीद-बिक्री में गाइड लाइन दर से अधिक सौदे की रकम होने पर भी अब रजिस्ट्री शुल्क केवल गाइड लाइन दर के अनुसार ही लिया जाएगा। इस नीति के तहत अब संपत्ति का वास्तविक मूल्य रजिस्ट्री में दर्ज किया जा सकेगा, और इसके आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त करना भी आसान होगा। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी संपत्ति का गाइड लाइन मूल्य 10 लाख रुपये है और उसका सौदा 15 लाख में हुआ है, तो भी रजिस्ट्री शुल्क 10 लाख के 4% के अनुसार मात्र 40 हजार रुपये ही होगा, जिससे 20 हजार रुपये की सीधी बचत होगी।

मुख्यमंत्री ने किया पौधरोपण 'एक पेड़ मां के नाम'

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सीआरपीएफ बस्तरिया बटालियन 241 वाहिनी के परिसर में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत नीम का पौधा लगाया। श्री साय ने सभी से एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पौधरोपण से भावी पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण का उपहार मिलता है। यह अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से संचालित हो रहा है। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के जवान भी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय

स्वदेशी पिनाक का एक और सफल परीक्षण

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने पिनाक रक्षा प्रणाली का एक और सफल परीक्षण किया। इससे 12 रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं। तीन चरणों में विभिन्न फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित इस परीक्षण को प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स (पीएसक्यूआर) के तहत किया गया। गाइडेड पिनाक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है। परीक्षण के दौरान पाया गया कि इस सिस्टम के तहत सभी रॉकेट विपरीत परिस्थितियों में सटीक निशाना साध सकते हैं। एक साथ कई गाड़ी, बंकर, बेड़े, तोप या किसी भी लक्ष्य को सटीक तरीके से भेदा जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और भारतीय सेना को इस सफल परीक्षण के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि गाइडेड पिनाक वेपन सिस्टम के शामिल होने से सशस्त्र बलों की तोपखाने की शक्ति को और मजबूती मिलेगी।

पीएम मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान

डोमिनिका सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन गुयाना में होने वाले भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे कोविड के दौरान पीएम मोदी के सहयोग के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति बताया है। इसी तरह जॉर्जटाउन में आयोजित समारोह में पीएम मोदी को गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार "डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर" प्रदान किया

भारत-चीन सीधी उड़ान

पूर्वी लद्दाख में एलएसी से सैनिकों की वापसी के बाद भारत-चीन संबंधों में सुधार की दिशा में नई पहल हुई है। ब्राजील में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनके समकक्ष वांग यी के बीच हुई वार्ता में सीमा विवाद सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया। यह बैठक पांच साल बाद होगी। दोनों देशों ने सीधी उड़ानें फिर शुरू करने और कैलाश मानसरोवर यात्रा को बहाल करने पर सहमति जताई। कोविड के कारण रुकी ये सेवाएं जल्द शुरू हो सकती हैं। एलएसी पर शांति बनाए रखना भी चर्चा का हिस्सा रहा।

राष्ट्रीय लोक प्रसारक प्रसार भारती ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया

राष्ट्रीय लोक प्रसारक प्रसार भारती ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया है, जिसका उद्घाटन गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) के उद्घाटन समारोह में हुआ। वेव्स का उद्देश्य डिजिटल मनोरंजन की बढ़ती मांग को पूरा करना और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करना है। इस प्लेटफॉर्म पर रामायण, महाभारत, शक्तिमान जैसे लोकप्रिय शो शामिल होंगे। यह प्लेटफॉर्म पारिवारिक मनोरंजन, समाचार, वृतचित्र और क्षेत्रीय कार्यक्रमों की एक विशाल लाइब्रेरी प्रदान करेगा। वेव्स में 12 से अधिक भाषाओं में कार्यक्रम उपलब्ध होंगे, जिनमें महिला केन्द्रित और एनीमेशन शो भी शामिल हैं। इसके अलावा, यह प्रभु श्रीराम लला आरती और प्रधानमंत्री मोदी का 'मन की बात' जैसे कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण करेगा।

सराय काले खां चौक का नाम अब बिरसा मुंडा चौक

दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदल कर अब बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। केंद्रीय शहरी मंत्री मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिरसा मुंडा की 149वीं जयंती पर यह घोषणा की।

अनुराग मॉरीशस के राजदूत नियुक्त

अनुभवी राजनयिक अनुराग श्रीवास्तव को मॉरीशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वह नंदिनी सिंगला की जगह लेंगे। द्वीपीय देश मॉरीशस हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक नजरिये से बहुत अहमियत रखता है। श्रीवास्तव 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा के राजनयिक है।

स्पेसएक्स ने लॉन्च किया जीसैट-एन 2

भारत के संचार उपग्रह जीसैट-एन 2 को सफलता से कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के जरिये 4700 किलो वजनी उपग्रह को अमेरिका के केप कैनावेरल से अंतरिक्ष में भेजा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बताया, यह उपग्रह भारत में ब्रॉडबैंड सेवाओं और विमान के अंदर इंटरनेट सेवा को बढ़ाएगा। उपग्रह का नियंत्रण इसरो ने अपने हाथ में ले लिया है।

सीबीएसई नहीं करेगा मेरिट-टॉपर सूची की घोषणा

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों की मेरिट सूची और डिवीजनवार अंक जारी नहीं करेगा। पिछले चलन का पालन करते हुए, बोर्ड टॉपर्स की सूची और छात्रों के डिवीजन की घोषणा भी नहीं करेगा। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 में बैठने वाले छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय को व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण करने के साथ-साथ कुल मिलाकर 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

जनजातीय गौरव पखवाड़ा में आदिवासी उत्पादों की वैश्विक पहचान

देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को याद करने के लिए जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार आदिवासियों के आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करके उनके जीवन को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के आदिवासी उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो रहे हैं। अरकू कॉफी ने 2017 में पेरिस में अपनी पहली ऑर्गेनिक कॉफी शॉप खोली, जिसने वैश्विक बाजारों में अपनी जगह बनाई। इसी तरह, छत्तीसगढ़ के महुआ फूलों ने फ्रांस सहित अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी जगह बनाई है। शॉल, पेंटिंग, लकड़ी के सामान, आभूषण और टोकरियाँ जैसे आदिवासी उत्पाद तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। सरकार ट्राइफेड आउटलेट और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी के माध्यम से इन प्रयासों का समर्थन कर रही है।

के. संजय मूर्ति महालेखापरीक्षक नियुक्त

के. संजय मूर्ति को भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक-सीएजी नियुक्त किया गया है। श्री मूर्ति फिलहाल में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव हैं। वे गिरीश चंद्र मुर्मु का स्थान लेंगे।

अंतरराष्ट्रीय

अमेरिकी इंटेलिजेंस तुलसी के जिम्मे

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रिपब्लिकन हिंदू नेता तुलसी गबार्ड को अहम पद पर नियुक्त किया है। गबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर का पद संभालेंगी। अमेरिकी हिंदू तुलसी सीआईए और एफबीआई जैसी 18 सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय का काम देखेंगी। इस पद पर वे पहली हिंदू धर्मावलंबी होंगी। अमेरिकी समोआ (प्रशांत महासागर का द्वीप) में ईसाई परिवार में जन्मी तुलसी हिंदू धर्म मानती हैं। भले ही भारतीय मूल की नहीं हैं, लेकिन वे हमेशा गीता अपने साथ रखती हैं। डेमोक्रेट रहीं तुलसी ने इसी साल रिपब्लिकन पार्टी जॉइन की थी। वे कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के पक्ष में रहीं।

पॉवरफुल मैग्नेट: पृथ्वी से 8 लाख गुना शक्तिशाली चुंबक

चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि एक कमरे के आकार का ये मैग्नेट सबसे शक्तिशाली है। ये धरती के चुंबकीय क्षेत्र से 8 लाख गुना शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न करता है। वैज्ञानिक भाषा में इसकी शक्ति 42.02 टेस्ला है। इससे पहले, अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित चुंबक 41.4 टेस्ला की थी और उसका विश्व रिकॉर्ड था।

काप-29 में 132 देशों ने की शांति की अपील

संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (काप 29) में शांति, राहत और पुनर्प्राप्ति दिवस पर घोषणा की गई कि भारत सहित 132 देश काप ट्रूस (युद्ध विराम) अपील में शामिल हो गए हैं। युद्ध में शामिल देशों से सम्मेलन के महीने में सैन्य अभियान रोकने का आग्रह किया गया है। ओलंपिक ट्रूस से प्रेरित यह अपील काप-29 प्रेसीडेंसी की बड़ी पहल है। काप ट्रूस दो मुख्य उद्देश्यों से प्रेरित है। पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और जलवायु परिवर्तन के सामने एकता को बढ़ावा देना है।

1400 कलाकृतियां भारत को अमेरिका ने लौटाई

अमेरिका ने भारत को 1,400 से अधिक चुराई गई कलाकृतियां वापस लौटा दी हैं, जिनकी कीमत करीब 84 करोड़ रुपए है। कई वस्तुएं न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में हाल ही में प्रदर्शित हो रही थीं।

चीन के वैज्ञानिकों ने पहली बार सुलझाया चंद्रमा का रहस्य

चीन के वैज्ञानिकों ने पहली बार चंद्रमा के सुदूर हिस्से के रहस्य को सुलझाने के कारनामा कर दिखाया है। पहली बार चीनी वैज्ञानिक और उनके अमेरिकी सहयोगी चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर ज्वालामुखी विस्फोटों की सटीक उम्र मापने में सक्षम हुए हैं। पहले इसके अंदाजा केवल रिमोट सेंसिंग के आकलनों के माध्यम से किया जाता था। इसी साल जून में चीन का चांग 'ई-6 मून मिशन चंद्रमा से चट्टान का सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस आया था। इस सैंपल का अध्ययन करने के लिए बीजिंग और ग्वांगझोऊ में स्थित चीनी विज्ञान अकादमी के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में दो शोध टीमों का गठन किया गया।

पीएम मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति को दिया सिलोफर पंचामृत कलश

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति को सिलोफर पंचामृत कलश उपहार में दिया। यह कलश महाराष्ट्र के कोल्हापुर की पारंपरिक शिल्प कौशल का एक अद्भुत उदाहरण है। सिलोफर पंचामृत कलश उच्च गुणवत्ता वाली चांदी से बना है, जिसे विशेष कौशल और सटीकता के साथ तैयार किया गया है। कलश पर कोल्हापुर के प्रसिद्ध धातुकर्म की विशिष्ट नक्काशी की गई है, जिसमें फूलों की आकृतियां, देवताओं की तस्वीरें और पारंपरिक कोल्हापुर डिजाइन शामिल होते हैं। इसके हैंडल और ढक्कन को भी डिजाइन किया गया है। धार्मिक समारोहों के दौरान कलश के माध्यम से खासतौर से पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और चीनी परोसी जाती है।

हरिनी अमरसूर्या बनीं श्रीलंका की प्रधानमंत्री

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने हरिनी अमरसूर्या को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया। दिल्ली में पढ़ीं हरिनी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। 21 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 12 नए और 8 अनुभवी सांसदों को शामिल किया गया। वित्त और रक्षा मंत्रालय राष्ट्रपति ने अपने पास रखा, जबकि विदेश मंत्रालय का जिम्मा विजिथा हेराथ को दिया। दिसानायके के वामपंथी गठबंधन ने चुनाव में 225 सीटों में से रिकॉर्ड 159 सीटें जीतीं, जिसमें तमिल गढ़ जाफना की ऐतिहासिक जीत शामिल है। शपथग्रहण के बाद उन्होंने सत्ता को विनम्रता और जवाबदेही के साथ उपयोग करने का संदेश दिया।

अंतरिक्ष में जीवन की तलाश

यूरोपीय स्पेस एजेंसी और नासा के शीर्ष वैज्ञानिक मिलकर ऐसा स्पेसशिप बना रहे हैं जो 1000 लोगों को लेकर 250 साल तक का सफर कर सके। इस यान पर सैकड़ों वैज्ञानिक और इंजीनियर रहकर अंतरिक्ष में जीवन की तलाश के लिए अनुसंधान करेंगे। प्रोजेक्ट हाइपेरियन के तहत इसकी तैयारी शुरू की गई है। इस पर धरती की तरह ही गुरुत्वाकर्षण बल की सुविधा भी रहेगी।

भारत समर्थक वॉल्ट्ज होंगे अमेरिका के नए एनएसए

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अगले साल जनवरी में पद संभालेंगे। इससे पहले उन्होंने महत्वपूर्ण नियुक्तियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में उन्होंने फ्लोरिडा से तीन बार के सांसद माइक वॉल्ट्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) नियुक्त किया है। 50 वर्षीय वॉल्ट्ज, जेक सुलिवन की जगह लेंगे। वॉल्ट्ज सेना में कर्नल रह चुके हैं। युद्ध के अनुभवी हैं। उन्होंने अफगानिस्तान, मध्य पूर्व और अफ्रीका में कई मिशनों का नेतृत्व किया है। वॉल्ट्ज की नियुक्ति भारत के नजरिए से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें भारत समर्थक माना जाता है। वे चीन की तानाशाह कम्युनिस्ट पार्टी की मुखालफत करते रहे हैं। वॉल्ट्ज ने 2023 में एक इंटरव्यू में आतंक को विदेश नीति के तौर पर बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की थी। वॉल्ट्ज ने बीते साल अगस्त में स्वतंत्रता दिवस पर भारत का दौरा किया था। उस समय भारत, पाकिस्तान, चीन, खालिस्तान पर रुख स्पष्ट करते हुए भारत से दोस्ती पर जोर दिया था। वहीं चीन और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रुख दिखाया था।

खेल / कला

टी 20 भारत ने दक्षिण अफ्रीकी सीरीज 3-1 से जीती

भारत-दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज भारत ने 3-1 से अपने नाम कर ली। सीरीज का आखिरी मैच भारत 135 रन से जीता। टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए एक विकेट पर 283 रन बनाए। जवाब में दक्षिणी अफ्रीकी टीम 148 रन पर आउट हो गई। अर्शदीप सिंह ने तीन, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिए। टी20 में यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा।

प्रजनेश ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की

एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता प्रजनेश गुणेश्वरन ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। जकार्ता एशियाई खेलों 2018 में एकल कांस्य पदक जीतने वाले 35 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, "मैं खेल को अलविदा कह रहा हूं। धन्यवाद।" गुणेश्वरन 2019 में एटीपी रैंकिंग में अपने सर्वश्रेष्ठ 75 वें पायदान पर पहुंचे थे। उन्होंने कई वर्षों तक शीर्ष स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने के लिए आभार व्यक्त किया। गुणेश्वरन ने कहा, '' मैं जब यह लिख रहा हूं तो मेरा दिल कृतज्ञता, गर्व और पुरानी यादों के स्पर्श से भर रहा है।

वर्ल्ड नंबर-1 जैनिक सिनर ने लगातार तीसरी जीत

दुनिया के नंबर-1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने एटीपी फाइनल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली। इटली के सिनर ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में चौथी सीड डेनियल मेदवेदेव को 6-3, 6-4 से हराया। टॉप सीड सिनर की यह लगातार तीसरी जीत है। इससे पहले टेलर फ्रिट्ज ने एलेक्स डि मिनॉर को 5-7, 6-4, 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

महेंद्र बने एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष

रायपुर के महेंद्र आहूजा को छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। संघ की प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक में पूर्व अध्यक्ष जीएस बांबरा ने पद त्याग दिया। अब वे प्रदेश संघ के चेयरमैन के तौर पर काम करेंगे। वहीं, आहूजा को सर्वसहमति से अध्यक्ष चुना गया। महेंद्र आहूजा 2027 तक कार्यभार संभालेंगे। इसके अलावा आगामी होने वाले क्रॉस कंट्री एवं छत्तीसगढ़ के जिलों के मान्यता के संबंध में विस्तृत रूप से सभी सदस्यों के बीच चर्चा हुई। दिसंबर में रायपुर में मास्टर एथलेटिक्स टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। जिसकी जानकारी संघ वेबसाइट से मिलेगी।

डेनमार्क की विक्टोरिया मिस यूनिवर्स चुनी गईं

डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेलविग ने वर्ष 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। मिस नाइजीरिया चिडिम्मा एडेत्शिना दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि मिस मेक्सिको मारिया फर्नांडा बेल्ट्रान तीसरे स्थान पर रहीं। भारत की रिया सिंह टॉप 12 में भी जगह नहीं बना सकीं।

शेफाली जामवाल ने जीता मिसेज यूनिवर्स अमेरिका का खिताब

जम्मू की मूल निवासी शेफाली जामवाल ने मिसेज यूनिवर्स अमेरिका का खिताब जीत लिया है। उनके सिर मिसेज यूनिवर्स अमेरिका 2024 का ताज सजा है। शेफाली भारतीय सेना के ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) की बेटी हैं। जम्मू की मूल निवासी शेफाली जामवाल को सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज यूनिवर्स अमेरिका 2024 का खिताब मिला है। जामवाल ने पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को लेकर शानदार जवाब दिए, जिसे लेकर उन्होंने वहां पर उपस्थित दर्शकों और जजों दोनों पर शानदार प्रभाव डाला। वाशिंगटन के रेंटन में आयोजित इस कार्यक्रम में हरियाली को लेकर उनकी अवेयरनेस ने खासा प्रभाव डाला और खिताब को उनके नाम करने में मदद की।

जेक पॉल ने माइक टायसन को हराया

अपने जमाने के दिग्गज मुक्केबाज माइक टायसन 58 साल की उम्र में अपना पुराना जादू नहीं दिखा पाए और यहां एक बहुप्रचारित मुकाबले में 27 साल के जैक पॉल से हार गए। टायसन 20 साल बाद पेशेवर मुकाबला खेलने के लिए रिंग पर उतरे थे और इसलिए इस मुकाबले को लेकर काफी प्रचार प्रसार किया गया था।

24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 27 से 31 दिसंबर तक

वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा राजधानी रायपुर में 24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह पांच दिवसीय प्रतियोगिता 27 से 31 दिसंबर तक आयोजित होगी। जिसमें तीरंदाजी एवं फुटबॉल के लगभग 800 प्रतिभागी भाग लेंगे। शबरी आश्रम परिसर रायपुर में आयोजित बैठक में प्रतियोगिता के तैयारी एवं विभिन्न कार्यक्रमों के लिए स्वागत समिति का गठन किया गया।

महिला हॉकी: भारत को एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी

भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में ओलिंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट टीम चीन पर 1-0 की जीत के साथ एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी का खिताब बरकरार रखा। युवा स्ट्राइकर दीपिका ने 31वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से भारत के लिए विजयी गोल किया और 11 गोल के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने, वाली खिलाड़ी बनीं। साल 2016 और 2023 में ट्रॉफी जीतने के बाद यह भारत का तीसरा खिताब है

दिव्या ईस्ट एशिया म्यूथाई के लिए भारतीय टीम में चयनित

राजधानी की म्यूथाई खिलाड़ी दिव्या अग्रवाल का चयन ईस्ट एशिया चैम्पियनशिप के लिए भारतीय टीम में कर लिया गया है। वहीं, अमन यादव टीम के मैनेजर नियुक्त किए गए हैं। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक हांगकांग में होने जा रहे टूर्नामेंट में विजेता को लगभग 50 हजार और उपविजेता को 25 हजार रुपए मिलेंगे। इसके लिए 15 सदस्यीय भारतीय म्यूथाई टीम 27 नवंबर को हांगकांग के लिए रवाना होगी। जानकारों ने बताया कि दिव्या ने दो बार नेशनल मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप में मेडल जीत चुकी हैं। साथ ही ईस्ट एशिया चैम्पियनशिप के लिए चयन होने वाली इस साल प्रदेश की इकलौती खिलाड़ी हैं।

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला बालोद (छ०ग०)

फोन एवं फैक्स नं.: 07749-223077 ई-मेलः balod.court@nic.in

।। सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन ।।

क्रमांक 3463/दो-11-2/2013 बालोद, दिनांक- 13.11.2024

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि- 07.12.2024 की संध्या 5.00 बजे तक (केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद की स्थापना हेतु वाहन चालक के रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु, भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

रिक्त पदों का विवरण																		
क्रं.	रिक्त पद का नाम	कुल रिक्त पद	पदों के आरक्षण का विवरण															
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनारक्षित			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	वाहन चालक	02	....	....	....	....	0	....	....	....	01	....	....	....	01	....	....	....

महत्वपूर्ण टीप :-

1. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
2 विज्ञापन में कोई भी शुद्धिपत्र जारी करना व चयन प्रकिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना इत्यादि भर्ती समिति का अधिकार होगा, जो कि अतिम व बंधनकारी होगा एवं इस संबंध में किसी भी पत्र व्यवहार पर विचार नही किया जायेगा।
3. परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला- बालोद (छ०ग०) के पास सुरक्षित होगा।

-:: भर्ती की पात्रता एवं शर्ते :-

[01] **वाहन चालक पद के लिये-**

(1) वेतनमान - वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 (रूपये 19500-62000)

(2) शैक्षणिक योग्यता -

[अ] किसी भी राज्य शासन के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

[ब] हल्के मोटर वाहन / कॉमर्शियल वाहन चालक की वैद्य अनुज्ञप्ति (लायसेंस) धारण करता हो तथा सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। अनुभवी एवं वाहन मैकेनिको को प्राथमिकता दी जावेगी।

(स) अभ्यर्थी स्वस्थ्य होना चाहिए।

(द) यह अपेक्षित है कि उम्मीद्वार को छत्तीसगढ़ी (बोली)/ स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

टिप्पणी- उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी जो कि किसी अन्य शासकीय विभाग में तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा नियमित वाहन चालक के रूप में सेवा दे रहे हो, उससे संबधित दस्तावेज जमा करे।,

आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें:-

[1] **आयु सीमा :-**

उपरोक्त पदों के लिये ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छ.ग. के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

छ०ग० राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

आयु सबधी प्रमाण पत्र के लिये प्राथमिक / माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र/ अंकसूची जिनमे जन्म तिथि का उल्लेख हो, मान्य होगे। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अन्य शर्तें :-

1. रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन होना चाहिए। कार्यरत शासकीय सेवकों के लिये लागू नहीं है)
2 चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त की जाकर दाण्डिक कार्यवाही सस्थित की जा सकेगी।
3 उपरोक्त पदों पर नियुक्ति आदेश उपरात पद भार ग्रहण करने के पूर्व, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारो को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4 आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।
5 जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6 कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नि जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दिया जा सकेगा।
7. कोई भी अभ्यथर्थी जिसे किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी को किसी उच्च न्यायालय, शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत किया गया हो तो वह अपात्र माना जायेगा।

-: आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-

[1] आवेदन पत्र, विज्ञापन के साथ सलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेगे। पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र बद लिफाफे में जिस पर वह आवेदित पद वाहन चालक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो। प्रेषित किया जाने वाला आवेदन पत्र, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला बालोद (छ०ग०) के पत्ता पर प्रेषित किया जावे। केवल वह आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जाएंगे, जो कि स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किये गये हों और इस कार्यालय को दिनांक 07.12.2024 की संध्या 05.00 बजे तक प्राप्त हो गये हों। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त हुए आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। दिनांक 07.12.2024 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

[2] आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, दिव्यांगता आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः

[3] जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा प्राथमिक / माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

[4] ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत् है, उन्हें अपने वर्तमान नियोक्ता/विभाग प्रमुख से उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

5 आवेदन पत्र में स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित रंगीन फोटो, स्वप्रमाणित किया हुआ चस्पा होना चाहिये तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड या वोटर कार्ड या ड्रायविंग लायसेंस या पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

[6] पंजीकृत डाक या स्पीड डाक पोस्ट के द्वारा भेजे गये आवेदन पत्रों के विलंब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नही होगी।

[7] ई-मेल व फैक्स के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेगे।

[8] बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त गाना जावेगा।

(09) आवेदक को चाहिए की वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी सही एवं पूर्ण रूप से भरे। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर उसे निरस्त किया जा सकेगा।

-:: नियुक्ति हेतु चयन विधि :-

1. वाहन चालक पद हेतु-

(अ) लिखित परीक्षा वाहन चालक के पद हेतु 10 गुना से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो सीधा कौशल परीक्षा लिया जावेगा, 10 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद जिला (छ.ग.) द्वारा गठित भर्ती कमेटी या सब कमेटी द्वारा लिखित परीक्षा लिये जाने के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जावेगा या केवल कौशल परीक्षा भी आयोजित की जा सकेगी। यदि, लिखित परीक्षा आयोजित किया जाता है तो, तो स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। जिसमें 30 अंको का एक प्रश्न पत्र सहउत्तर पुस्तिका होगा जिसके सभी 30 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का एक-एक अक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिये चार विकल्प होगे जिसमे से सही विकल्प का चुनाव करना होगा। लिखित परीक्षा से संबंधित अन्य दिशा-निर्देश लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में दिया जावेगा। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, समसामयिक विषय एवं मोटरयान से संबंधित सामान्य जानकारी के अंतर्गत होंगे, उक्त परीक्षा की अवधि केवल 30 मिनट की होगी। मूल्याकन में ऋणात्मक अंक नहीं होगा। लिखित परीक्षा में प्रावीण्य सूची वर्गवार / श्रेणीवार तैयार की जावेगी। अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। लिखित परीक्षा मात्र अभ्यर्थी की छटनी हेतु होगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक की गणना प्राविण्य /वयन सूची तैयार करते समय नहीं की जायेगी। केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्राविण्य / चयन सूची श्रेणीवार / वर्गवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होने की स्थिति में भर्ती समिति का निर्णय मान्य होगा।

(ब) कौशल परीक्षा कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों के शारीरिक एवं बौद्धिक दक्षता एवं वाहन चालन के संबंध में परीक्षण लिया जायेगा। प्रायोगिक (दक्षता / कौशल) परीक्षा- 50 अंको की होगी।

-: चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची ::-

(01) वाहन चालक के पद पर चयन हेतु केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर ही वर्गवार मेरिट सूची तैयार करते हुए चयन सूची तैयार की जायेगी तथा नियमानुसार वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।

(02) प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

(03) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। जन्मतिथि समान होने पर अग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस आवेदक का नाम प्रथम आयेगा उनका चयन किया जावेगा।

-: महत्वपूर्ण निर्देश :-

[1] चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

[2] चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता /अपात्रता के संबंध में अतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद का होगा।

(3) चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।

[4] आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ.ग. रायपुर से सत्यापित न होने की दशा में संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छग रायपुर से सत्यापित कराया जायेगा।

(5) चयनित उम्मीदवारों के, जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियो में शामिल पाये जाने की दशा मे नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

[6] चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

[7] उक्त नियुक्ति, आरक्षण के सबंध में माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा रिट पिटीशन कमाक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन किया जावेगा।

[8] यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

[09] जो अभ्यर्थी चयन प्रकिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।

[11] आवेदक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय की वेबसाइट balod.dcourts.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित हो सकेगे। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जावेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के फोटोग्राफ कॉलम में वर्तमान रंगीन फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज, जैसे कि आधार कार्ड या ड्रायविंग लायसेंस या मतदाता परिचय पत्र या पैनकार्ड की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा। लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

[12] प्राप्त आवेदनों की कूट परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के वेबसाईट balod.dcourts.gov.in तथा सूचना पटल पर प्रकाशित किया जावेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदक 07 (सात) दिवस के भीतर स्वतः उपस्थित होकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। अतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात् वेबसाईट पर प्रकाशित/अपलोड की जायेगी।

[13] आवेदक परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिये निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व पंजीयन हेतु उपस्थित होगें, विलम्ब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जावेगा।

[14] उम्मीदवारो को पृथक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा। उम्मीदवारों का पंजीयन क्रमांक तथा अनुक्रमांक की जानकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद, जिला बालोद के वेबसाईट balod.dcourts.gov.in तथा सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा, जिसे ही अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र पर अंकित करना है।

महत्वपूर्ण टीप :- "यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तो को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी।" नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

स्थानः बालोद
दिनांक 13.11.2024

अनुमोदन
सही/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद (छ.ग.)

सही/-
अध्यक्ष
भर्ती एवं चयन समिति
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद,
जिला-बालोद (छ.ग.)

क्रमशः

वाहन चालक के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बालोद, जिला बालोद (छ०ग०)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट फोटो दिनाकः सहित

01 आवेदित पद का नाम ---------------------------------
02 आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) ---------------------------------
03 अंग्रेजी के बडे अक्षरों में पूरा नाम ---------------------------------
04 लिंग पुरुष / महिला / अन्य] ---------------------------------
05 पिता/पति का नाम ---------------------------------
06 (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पत्ता ---------------------------------
----

(ब) स्थाई पता ---------------------------------

----
07 (अ) जन्म तिथि (अंको में) ---------------------------------
(ब) जन्म तिथि शब्दों में ----------------------------------
(स) दिनांक-01.01 2024 को आयु ----------------------------------
(यदि आवेदक आयु में छूट का कोई दावा करता ------वर्ष-----माह-----दिन------ है तो उक्त के सबंध में आधार एवं दस्तावेज सलग्न करे)
08 क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी है. --------------------------
[सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें]
09 क्या आवेदक छग राज्य के लिये घोषित -------------------------- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है। यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र सलग्न करें]
10 अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा- वर्ग अंकित करें-----------------
11 क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है। ------------------------------ यदि हा तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र सलग्न करें]
12 रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन -------------------------- क्रमांक दिनांक/वैधता दिनांक
13 रोजगार कार्यालय का नाम -----------------------
14 क्या आप विवाहित है? हां या नहीं -----------------------
15 यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि -----------------------
16 शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता -----------------------

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

17 अनुभव यदि कोई हो (प्रमाण-पत्र संलग्न करें।) -
18 क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय- सस्था में सेवारत है? यदि हाँ तो नियोक्ता का अनापत्ति/अनुमति संलग्न करें ।
19 संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची- (स्वप्रमाणित होना चाहिये)
01.----------------------02 .----------------------
03. .----------------------04. .----------------------
05. .----------------------06. .----------------------
07. .---------------------- 08 .----------------------
09 .----------------------10 .----------------------

दिनांक-
स्थान-

आवेदक का हरताक्षर
नाम एवं पूरा पता------------
मोबाईल न.----------------------
ई-मेल----------------------

(अनिवार्य रूप से भरे)

।। घोषणा पत्र ।।

मैं पति/पत्नी / पिता/अभिभावक सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करती/करता हूँ कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतया सत्य है। चयन के किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अपूर्ण या असत्य पाये जाने पर आवेदन पत्र या नियुक्ति रद्द किये जाने के लिये मैं पूर्णतः जिम्मेदार रहूंगा/ रहूंगी ।

स्थान-
दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद जिला बालोद छ०ग०

।। प्रवेश-पत्र ।।

वाहन चालक के पद पर नियुक्ति हेतु

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट फोटो दिनांक सहित

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:-	
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	:-	

आवेदित पद का नाम :---------------------------
अभ्यर्थी का नाम :---------------------------
पिता/पति का नाम :---------------------------
वर्ग- :---------------------------
[अनारक्षित/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व] :---------------------------
परीक्षा तिथि :---------------------------
समय :---------------------------
परीक्षा केन्द्र :---------------------------

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

कार्यालयीन उपयोग हेतु

वास्ते/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बालोद, जिला बालोद (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1/ परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व पंजीयन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। विलम्ब से उपस्थित होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

2/ परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले बाल पेन का ही उपयोग करे। परीक्षार्थी उक्त प्रवेश पत्र को स्वयं भरकर साथ लेकर आवेगा। पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा। आवेदन पत्र के पजीयन क्रमांक तथा अनुक्रमाक की जानकारी प्रधान जिला न्यायालय के वेबसाइट balod.dcourts.gov.in एव सूचना पटल से ली जा सकेगी।

3/ परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केलकूलेटर, मोबाइल लॉग टेबल, ब्लू टूथ, स्मार्ट वॉच या अन्य कोई इलेक्ट्रनिक डिवाइस आदि रखना वर्जित है अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

4/ प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना /चरपा करना अनिवार्य है। एक अतिरिक्त फोटो साथ लेकर आवश्यक रूप से आवे।

5/ परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।

आर.ओ.181/जी-242503859/4

Directorate Sports & Youth Welfare Department

Sardar Vallabh Bhai Patel, International Hockey Stadium Raipur

Phone Number -0771-2262177 Email:- dir-sportsyw.cg@gov.in

-:: RECRUITMENT ADVERTISEMENT ::-

Director, Sports & Youth Welfare invites application from eligible, qualified and motivated Indian Citizen for providing consultancy on contract basis initially for period of 01 years and further extendable on the basis of satisfactory performance at Khelo India State Centre Of Excellence Bahtari, Bilaspur.

Post detail as Follow :-

S.No	Post	Number of Post	Remuneration
01	Head Coach Archery	1	100000-150000
02	Nutritionist	1	75000-100000
03	Physiotherapist - Grade-1	1	40000-60000

Eligible and willing candidates may submit their applications before 04.12.2024 till 05:00PM by registered/speed post to Director, Directorate, Sports & Youth Welfare, Shardar Vallabh Bhai Patel International Hockey Stadium, Raipur, Pin Code 492010.

The details of recruitment along with application form is available Director, Sports & Youth Welfare website i.e; http://www.sportsyw.cg.gov.in.Director, Sports & Youth Welfare reserves all the rights to withdraw this advertisement at any time without assigning any reason. For any recruitment related query, e-mail to dir-sportsyw.cg@gov.in

Director,
Sports & Youth Welfare
Chhattisgarh, Raipur

R.O.182/G-242503859/4

कार्यालय प्राचार्य

शहीद भृगुनंदन चौधरी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गरियाबंद छ. ग.

PHONE: (07706) 296339 E-Mail: itigbd@rediffmail.com

गरियाबंद जिले के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रण हेतु दिनांक 06.12.2024 शाम 5:00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

क्र	संस्था का नाम / व्यवसाय	गरियाबंद	मैनपुर	देवभोग	फिंगेश्वर	छुरा	योग
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	0	1	0	0	0	1
2	स्युइंग टेक्नोलॉजी	0	1	0	0	0	1
3	वर्कशाप कैलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग	0	0	1	0	0	1
4	इंग्लिश लैंग्वेज एवं कम्यूनिकेशन स्किल	1	1	0	0	0	2
5	वेल्डर	1	0	0	0	0	1
6	स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी)	1	0	0	0	0	1

उक्त पदों हेतु शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता तथा अन्य जानकारी कार्यालय के सूचना पटल अथवा गरियाबंद जिले की वेबसाईट www.gariaband.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।

(आशा वर्मा)
प्राचार्य
शहीद भृगुनंदन चौधरी शासकीय औद्योगिक
प्रशिक्षण संस्था गरियाबंद (छ.ग.)

आर.ओ.187/जी-242503948.3

छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक नं. सी, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/CGESIS/2019/14 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18/11/2024

छ.ग. कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी के नियम 15.4 के अनुसार तथा प्राप्त अनुमोदन अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के औषधालयों के लिये बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र	पद का नाम	निश्चित एवं समेकित वेतन प्रतिमाह	पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता
1	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	सामान्य क्षेत्र में रू. 57150/- अनुसूचित क्षेत्र में रू. 69850/- (राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारण अनुसार)	कुल पद-15 (अजा- 04 अ.ज.जा. 05 अ.पि.व. 04 अना.02) (कुल रिक्तियों में से विकलांग आवेदकों के लिये आरक्षित पदों की संख्या 02)	एम.बी.बी.एस., भारतीय / छ.ग. चिकित्सा परिषद में पंजीयन आवश्यक

आवेदन पंजीकृत डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक सी, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर में प्रेषित किये जा सकते हैं। लोक विज्ञप्ति के संदर्भ में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर काउंसिलिंग के द्वारा नियुक्तियां की जाएंगी। यदि पद रिक्त होंगे तो आवश्यकतानुसार एक वर्ष की अवधि तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन का प्रारूप, आवेदन कैसे प्रस्तुत करें एवं विज्ञापन से संबंधित समस्त जानकारी श्रम विभाग की वेबसाइट www.cglabour.nic.in तथा राज्य शासन की वेबसाइट www.cgstate.gov.in पर देखा जा सकता है।

सी.ई.ओ.
कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी
नवा रायपुर, अटल नगर

आर.ओ.183/जी-242503920/3

Police Public School, Raipur

(CBSE Affiliation No.: 3330379) Pension Bada Raipur (C.G.)

Contact-0771-4907612 E-Mail-policepublicschool19@gmail.com

Website-www.policepublicschoolcg.edu.in

SN/PPS/262-A/2024, Dated 20-11-2024

:: Recruitment for session 2024-'25::

PPS, Raipur is looking for a teacher with excellent communication skills in English and a thorough knowledge in the subject.

Essential Selection Criteria:

Post	Qualification	Experience	Age	Salary
PPRT (1)	NTT or Montessori trained graduates.	Minimum 3 years	Below 30 years	Min. 18K

Kindly mention the post clearly in your application.

Interested candidates may email their CV in the prescribed format (Please check website for details.) or even submit it at the school office on or before 30th November, 2024. Interviews will be conducted in the first week of December, 2024. Only short listed candidates will be called for interview.

R.O.188/G-242503965.4

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) जिला सक्ती (छ.ग.)

क्र./1140/मबावि/स्था. /2024-25 सक्ती, दिनांक 11/11/2024

मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र (Hub for Empowerment of Women) के संचालन हेतु संविदा स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना "मिशन शक्ति" की शुरूआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत राज्य में राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र हब (SHEW) एवं प्रत्येक जिले मे जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र, हब (DHEW) स्थापित किया गया है। मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय हब हेतु जिले मे 08 संविदा पदों की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त है। आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 20 दिसंबर 2024 है, विज्ञापित पद निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	जिले में स्वीकृत पदों की संख्या					वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित एकमुश्त / संविदा मासिक वेतन
		अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	अपिव	योग		
01	जिला मिशन समन्वयक	01	0	0	0	01	10	31450/-
02	जेन्डर विशेषज्ञ	01	0	01	0	02	8	25780/-
03	वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ	01	0	01	0	02	7	20900/-
04	कार्यालय सहायक	01	0	0	0	01	6	18420/-
05	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर PMMVY	01	0	0	0	01	4	14200/-
6	मल्टी टास्क स्टाफ	01	0	0	0	01	2	11720/-
	योग	06	0	02	0	08		

चयन हेतु आवश्यक शर्तेः-

01 आयु सीमा-

1 जिला मिशन समन्वयक तथा जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2023 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किंतु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नही होगी।

2 शेष अन्य सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2023 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी. किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3 आयु के सत्यापन / समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8 वीं, 10 वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

4 जिला मिशन समन्वयक तथा जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को, इन पदों हेतु 02 पद बोनस अक दिया जाएगा।

5 शेष पदों पर अभ्यार्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किए जावेंगे।

6 आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो. नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन को इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

9 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकूसची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी / स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए।

10 केवल शासकीय / अर्द्धशासकीय / गैर सरकारी संगठन संस्थाओं द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। गैर सरकारी संगठन का अनुभव प्रमाण पत्र केवल सक्षम / नियंत्रणकर्ता शासकीय अधिकारी के जारी किये जाने पर ही मान्य किया जावेगा।

11 अनुभव के संबंध मे अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे। अतः नियुक्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

12 पद क्रमांक 1, 2, 3, 4 के लिए न्यूनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव होना एवं पद क्रमांक 06 के लिए न्यूनतम 02 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है।

13 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।

14 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

15 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

16 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।

17 प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा। लिफाफे के उपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रूपये का टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करे।

18 आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेंजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

19 उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर वरीयता तैयार करते हुए कौशल परीक्षा (आवश्यक हो तो) के आधार पर ययन की प्रक्रिया की जायेगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी। केवल विशेष प्रकरण में योग्य आवेदक न मिलने पर ही कलेक्टर के अनुमति के उपरांत ही अनिवार्य न्युनतम अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी।

20 आवेदन पत्र दिनांक 20 दिसंबर 2024 तक कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, रीपा परिसर, ग्राम-जेठा, लवसरा रोड जिला सक्ती, (छ.ग.) पिन 495689 में निर्धारित तिथि तक प्राप्त होना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक / स्पीडपोस्ट कोरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदनों को ही स्वीकार किया जावेगा।

आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे-

वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।

न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 18 अंक। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को 02 बोनस अंक दिए जाएंगे। उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है वहां दोनों में 10-10 अंक होंगे।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अनुभव अंक एवं छ.ग. के मूल निवासी में प्राप्त अंकों के आधार पर वरियता सूची अनुसार 01 पद के विरूद्ध 15 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित की जावेगी। कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की यात्रा मत्ता/अन्य भत्ता देय नही होगा।

अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

इन कर्मियों को अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित में संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कहीं यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

क्रमशः

चयन हेतु आर्हताएं, मापदण्ड एवं अन्य शर्ते :-

भारत शासन द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत दिए गए मार्गदर्शी निर्देश में चयन हेतु उल्लेखित न्यूनतम अर्हता में राज्य की आवश्यकताओं के आलोक में राज्य एवं जिले के लिए वित्तीय मापदंडों को भी ध्यान में रखते हुए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव एवं वांछित अतिरिक्त योग्यता एवं अन्य शर्तों का निम्नानुसार निर्धारण किया गया हैः-

जिला स्तरीय (DHEW) हेतु शैक्षणिक अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभवः-

क्र.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
01	जिला मिशन समन्वयक	समाजशास्त्र/जीवन विज्ञान/पोषण/स्वास्थ्य प्रबंधक / समाज कार्य ग्रामीण प्रबंधन में स्नातक डिग्री (बी.ए. समाज शास्त्र/सामाजिक कार्य, बी. एस. डब्लू, बी. एस. सी. क्लिनिकल एंड न्युट्रिशियन, बी एस सी. फूड एंड न्यूट्रिशियन एंड डाइटैटिक्स, बी.ए. पब्लिक हेल्थ, बी.बी.ए. सरल, मैनेजमेंट एम.बी.बी. एस., बी.ए.एम.एस. बी.एच. एम.एस आदि)	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एम. एस ऑफिस में कार्य करने की क्षमता	संबंधित क्षेत्र का शासकीय/ अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव कम से कम 03 वर्ष का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव	स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता। अंग्रेजी भाषा में कम्पयूटर में कार्य करने का अनुभव।
02	जेन्डर विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री।	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एम. एस ऑफिस ,एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	जेण्डर से संबंधित कार्यों का शासकीय/अर्द्धशासकीय गैर सरकारी संगठन में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव • कम से कम 03 वर्ष का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव	स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता। अंग्रेजी भाषा में कम्पयूटर में कार्य करने का अनुभव।
03	वितीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री।	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एम. एस ऑफिस ,एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	वित्तीय साक्षरता/वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्यों शासकीय / अर्द्धशासकीय / गैर सरकारी संगवन मे कम से कम 03 वर्षों का अनुभव	स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता। अंग्रेजी भाषा कम्पयूटर में कार्य करने का अनुभव।
04	कार्यालय सहायक	लेखा/अन्य क्षेत्र में स्नातक/डिप्लोमा, जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित्त हो।	कम्पयूटर का अच्छा ज्ञान, जिसमें एम एस. आफिस एवं कम्पयूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	लेखा संबंधित कार्यों का शासकीय / अर्द्धशासकीय / गैर सरकारी संगठन में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव	अंग्रेजी भाषा में कम्पयूटर में कार्य करने का अनुभव।
05	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर PMMVY	स्नातक उपाधि के साथ कम्प्यूटर कार्य/आई.टी. अन्य क्षेत्रों का ज्ञान।	कम्पयूटर का अच्छा ज्ञान, जिसमें एग. एस आफिस एवं कम्पयूटर टाईपिंग अनिवार्य मे कार्य करने की क्षमता	डाटा प्रबंधन / प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन एवं वेबबेस्ड रिर्पोटिंग फार्मेट में कार्य करने शासकीय/अर्द्धशासकीय का गैर सरकारी संगठन में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव	अंग्रेजी भाषा में कम्पयूटर में कार्य करने का अनुभव।
06	मल्टी टास्क स्टाफ	किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास।	-	किसी भी शासकीय / अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन या निजी क्षेत्र में कम से कम 02 वर्षों का भूत्य/साफ-सफाई आदि के कार्य का अनुभव	-

नियुक्ति की अवधिः-

1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा/एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तदपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा/ सेवा अवधि प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

2 चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णत अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

3 इन पदों की अवधि भारत शारान द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद सगाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्य कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

4 योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्तकर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचारण नियम 1962 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

5 चयनित अभ्यर्थियों को जिला मेडिकल बोर्ड सक्ती में स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र 01 माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। रवास्थ्य परीक्षण में शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।

जिला महिला एवं बाल विकास
अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला सक्ती (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वयं द्वारा पासपोर्ट साईज ऊोटो पर हस्ताक्षर जिसका आधा भाग ऊोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए चस्पा करें

प्रति

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला सक्ती (छ.ग.)

1 आवेदित पद का नामः----------------------------
2 आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में):-----------------------
(अंग्रेजी में) :--------------------
3 पिता/पति का नाम :--------------------
4 स्थायी पत्ता :--------------------
5. (वर्तमान पता) :---------------------
दूरभाष/मो.नं. ---------------------
6 जन्मतिथि (अंकों में) (शब्दो में)
7. दिनांक 01/01/2023 को आयु :- वर्ष-----माह-----दिन-----
पुष्टि हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।)
8. लिंग पुरुष / महिला
9. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति..------- वर्ग-------
10 क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं?
(यदि हों तो सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।) हॉ/ नही
11 विवाहित / अविवाहित/विधुर/परित्यक्ताः--------------------
12 यदि आप विवाहित है तो दिवाह की तिथि व जीवित बच्चों की संख्याः----------
13. शैक्षणिक योग्यताः- (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्त करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था/वि.वि. का नाम	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

15 अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें)-

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण	कार्य का प्रकार

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते है।
16 रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक
17. रोजगार कार्यालय का नाम व जिला
18. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त / जारी) संलग्न करें।
19. निवास प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त / जारी) संलग्न करें।
20. अनिवार्य संलग्नकों की सूचीः-
1. जन्म तिथि हेतु 10 वीं की अंकूसची/प्रमाण पत्र 2. 12 वीं अंकसूची 3. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र 4. मूल निवास प्रमाण पत्र।
1. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र।
2. पहचान पत्र /आधार कार्ड/ वोटर आईडी इत्यादि।
3. एक लिफाफा जिसमे स्वयं का पता लिखा व 10 रू डाक टिकट सहित।
17. अन्य संलग्नकों का विवरण
1-------2.--------3-----4-------5---------7---------8----------

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

// घोषणा पत्र //

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य पूर्ण एवं सही है एवं आवेदित पत्र के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/ रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

स्थान :-
दिनांक :- **आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर**

पूरा नाम एवं पता----------
मोबाइल नम्बर-----------
ईमेल आईडी--------------

कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

ब्लाक-डी, भू-तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email-ctd.cg@nic.in.

क्रमांक/108-13/रा.यु.उ.यो./2023-24/1892 नवा रायपुर दिनांक 18/11/2023

राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 अंतर्गत ट्रायबल यूथ हॉस्टल, द्वारका, नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु ड्रापर / रिपीटर बैच के विद्यार्थियों हेतु अनुदेश

राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 अंतर्गत देश की राजधानी दिल्ली में स्थित ट्रायबल यूथ हॉस्टल में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से ड्रापर, रिपीटर बैच हेतु आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है।

1. **आवश्यक अर्हता :-**
   1. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
   2. अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य हेतु शासन द्वारा मान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो।
   3. अभ्यर्थी पूर्व में ट्रायबल यूथ हॉस्टल, द्वारका, नई दिल्ली का छात्र रहा हो (संबंधित दस्तावेज संलग्न करें)।
   4 अभ्यर्थी जिन्होंने विगत यू.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो (संबंधित दस्तावेज संलग्न करें)।

2. **सीट्स का आरक्षण :-**
   संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु दिल्ली स्थित ट्रायबल यूथ हॉस्टल में ड्रापर/रिपीटर हेतु सीटों का निर्धारण निम्नानुसार होगा कुल सीट 15 (अनुसूचित जनजाति-08, अनुसूचित जाति-05, अन्य पिछड़ा वर्ग-02)

3. **आवेदन जमा करने की अंतिम तिथिः 09.12.2024 समय सायं 05:00 बजे तक**

4. **आवेदन जमा करने का स्थान :-**
   आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लाक-डी, भू-तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)।
   आवेदक आवेदन उक्त स्थान पर स्वतः उपस्थित होकर जमा कर सकते है अथवा उक्त पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते है। आवेदन जमा करने की निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

5. **चयन प्रक्रियाः-**
   ड्रापर / रिपीटर अभ्यर्थियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के विगत परीक्षा परिणाम के आधार पर आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के द्वारा परीक्षण उपरांत किया जाएगा। निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर न्यूनतम आयु के आधार पर चयन किया जाएगा।

6. सुविधाएं :-
   ड्रापर/रिपीटर बैच के अभ्यर्थियों को योजना के अंतर्गत निम्नानुसार सुविधाएं विभाग द्वारा 10 माह हेतु दी जायेगीः-

विवरण	राशि	प्रति अभ्यर्थी व्यय (10 माह हेतु)
भोजन एवं परिवहन सुविधा (10 माह हेतु)	12,000 प्रतिमाह (राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा)	1,20,000

अभ्यर्थियों को ट्रायबल यूथ हॉस्टल में आवासीय व्यवस्था प्रदान की जायेगी। यदि ड्रापर / रिपीटर बैच का अभ्यर्थी पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है, तो कोचिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति अभ्यर्थी को स्वयं द्वारा वहन करना होगा।

(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर छ.ग.

राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 अतर्गत ट्रायबल यूथ हॉस्टल, द्वारका, नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु ड्रापर/रिपीटर बैच के विद्यार्थियों हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2024-25

प्रति,

पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो स्वहस्ताक्षरित

आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छ.ग.।

1. नाम----------------------------
2. पिता का नाम ----------------------------
3. जन्म तिथि ----------------------------शब्दों में--------------
4. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य हेतु शासन द्वारा मान्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अ.पि.वर्ग के स्थाई जाति प्रमाण पत्र का धारक हैः-
   ST ☐ SC ☐ OBC ☐
   (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करें)
5. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं हॉं/ नहीं
   (निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
6. विगत यू.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण है हाँ ☐ नहीं ☐
   (उत्तीर्ण होने का दस्तावेज संलग्न करें)
7. आवेदक जिस वर्ष ट्रायबल यूथ हॉस्टल का छात्र रहा हो उसका विवरण :-
   (क) वर्ष (संबंधित दस्तावेज संलग्न करें)
   (ख) अवधि कब से कब तक (----- से-------तक)
8. पत्र व्यवहार हेतु पताः- ग्राम/नगर.-----------------
   पोस्ट.---------------------
   :- विकासखण्ड.----------------
   जिला..-----------------------
   :- फोन / मोबाईल नबंर----------
   -ई-मेल----------------------

9. स्थाई पता ग्राम/नगर.-----------------
   पोस्ट.---------------------
   :- विकासखण्ड.----------------
   जिला..-----------------------
   :- फोन / मोबाईल नबंर----------

घोषणा

मैं शपथपूर्वक यह घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्तानुसार क्रमांक 01 से 09 तक दी गयी जानकारी सत्य एवं प्रामाणिक है। उक्त जानकारी असत्य पाए जाने पर मेरा चयन निरस्त किया जा सकता है।

आवेदक नाम----------
हस्ताक्षर :------------

आर.ओ.184/जी-242503891.5

संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण

सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, रायपुर, छ.ग.

दूरभाष- 0771-2262177, Email-dir-sportsyw.cg@gov.in

क्रमांक/स्था.884/2024-25/ रायपुर, दिनांक 14 /11/2024

//संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन//

छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ-1-20/2024/नौ दिनांक 10.10.2024 के निर्देश एवं प्रावधान के परिपालन में संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधीनस्थ राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई बिलासपुर के रिक्त वार्डन (वेतन लेवल-09, संविदा वेतन- 35165/-) तृतीय श्रेणी के 02 पद पर संविदा भर्ती नियम 2012 के तहत 01 वर्ष के लिए, संविदा भर्ती की जानी है। जिसके लिए छ.ग. के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक **29/11/2024** तक सायं 5.00 बजे तक संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण रायपुर में स्वीकार किये जायेंगे। जिसमें दर्शित पद की संविदा आधार पर नियुक्ति नियत चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। रिक्त पद का वर्गवार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः

स. क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	योग
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	वार्डन (पुरूष)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	वार्डन (महिला)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
योग =		**02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**02**

(1) संविदा भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें:-

(एक) आयु:-

(क) परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात आगामी जनवरी के प्रथम दिन को 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनु. जाति, अनु. जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगा।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थी की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्षों तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों या रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, शिथिलनीय होगी:-

(एक) ऐसे अभ्यर्थी, जो स्थाई शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए,

(दो) ऐसे अभ्यर्थी, जो अस्थाई रूप से पद धारण करता हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा है 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियोंे, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया शासकीय सेवक है उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थाई सेवा की अधिकतम 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:-शब्द "छटनी किए गए शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संगठक इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छः मास तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियोजन के लिए अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(चार) ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक है, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण - शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का रहा हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी किया गया हो या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो,

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिसे दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिन्हें:-

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिकः

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिसमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हो;

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर निरंतर 6 माह से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया है;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया है;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(ड.) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारक है उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(च) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित-जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के उच्चतर जाति के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव सम्मान, वीर हनुमान सिंह सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा

क्रमशः

अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल/परिषद के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) नगर सेना के स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नान कमीशन अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार पूर्व में की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 08 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी-(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 के खंड घ के उपखंड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन के लिए पात्र पाए गए हों, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात चयन के पूर्व अथवा पश्चात सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं तो वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उनकी सेवा या पद से छटनीं की जाती है तो वे नियुक्ति के लिए पात्र बने रहेंगे। किसी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी।

टिप्पणी-(2)विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए उनके नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी।

(इ) आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेंगे।

(दो) शैक्षणिक अर्हताएं:-

(i) वार्डन (पुरूष एवं महिला) पद हेतु:-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।
2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा /प्रमाण पत्र।

(2) निरहर्ता:- अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन प्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन के लिए निरर्हित ठहराया जा सकेगा।

(3) अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा:- चयन के लिये किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) पदों हेतु आरक्षण:-

(एक)सेवा में भर्ती के समय छ.ग. लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस अधिनियम के अधीन समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगें।

(दो) महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार लागू होगा।

(तीन) उपरोक्त के अतिरिक्त निःशक्त व्यक्तियों एवं भूतपूर्व सैनिक के लिये शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अनुसार पद आरक्षित रखा जायेगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का सं 49) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में लागू प्रतिशत के अनुसार पदों का आरक्षण 7% रहेगा।

सामान्य नियम एवं शर्ते:-

1. चयन की प्रक्रिया:- वार्डन पद हेतु शैक्षणिक अर्हता स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी। सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जायेगा। प्रतीक्षा सूची आदेश जारी दिनांक से 01 वर्ष के लिए मान्य होगा।
2. उक्त नियुक्ति छ.ग. संविदा भर्ती नियम 2012 के अध्याधीन रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन के भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या निर्देश जारी किया जाता है तो उक्त भर्ती नियम के प्रावधान लागू होगें।
3. छ.ग. राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें।
4. आवेदक को जाति के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. उम्मीद्वार को अपनी आयु सत्यापन हेतु हाई स्कूल प्रमाण-पत्र की (10वीं अंकसूची की स्वप्रमाणित) छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
6. अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें। आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अनिवार्य है।
7. उम्मीदवार के द्वारा आवेदित पद का नाम, वर्ग स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में दर्शाना अनिवार्य होगा।
8. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जावेगा एवं उम्मीद्वार को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि विज्ञापन में निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जावेगा।
9. चयन के संबंध में चयन समिति द्वारा अनुशंसा किया जायेगा एवं संचालक खेल एवं युवा कल्याण का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
10. भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद अथवा समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार विभागाध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेंगे।
11. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
12. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 29/11/2024 शाम 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक के माध्यम से संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण में स्वीकार किये जायेंगे। आवेदक आवेदन को पूर्ण भरकर, हस्ताक्षर कर एवं संलग्न होने वाले समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर आवेदन किया जाना है। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।
13. समस्त प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने के अंतिम तिथि को जीवित होना अनिवार्य होगा।
14. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
15. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 06 अनुसार अनर्हता के प्रावधान लागू होंगें।
16. विज्ञापित पद के लिए किये जाने वाला चयन मान्य. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एल.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।
17. चयनित उम्मीद्वारों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।
18. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
19. उक्त संविदा भर्ती प्रथम 01 वर्ष के लिए होगी। जिसकी वार्षिक समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद, परिणाम मूलक नहीं होने पर 30 दिवस की पूर्व सूचना द्वारा संविदा भर्ती समाप्त की जा सकती है। कर्मचारी द्वारा अत्यधिक अनुचित व्यवहार पाये जाने पर संविदा नियुक्ति बिना कारण बतायें तत्काल समाप्त की जा सकती है।
20. यह भर्ती पूर्णतः संविदा है। इस भर्ती के आधार पर कर्मचारी भविष्य में नियमित पद में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़ रायपुर

वार्डन (महिला/पुरूष) के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन

प्रति,

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
रायपुर (छ.ग.)

नवीनतम स्व-हस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का फोटो

विषयः- वार्डन (महिला/पुरूष) के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

विज्ञापन दिनांक........................ में विज्ञापित पद का नाम .... के लिए मैं अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूं।

1. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में) :- ....
   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में) :- ....
2. पिता/पति का नाम :- ....
3. जन्मतिथि (अंको में) :- ....
   (शब्दों में) :- ....
4. उम्र (01 जनवरी 2024 की स्थिति में) :- वर्ष............ माह................दिन...........
5. लिंग (महिला/पुरूष/अन्य) :- ....

(शेष पृष्ठ 16 पर)

संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण

सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, रायपुर, छ.ग.

दूरभाष- 0771-2262177, Email-dir-sportsyw.cg@gov.in

क्रमांक/स्था.158-B/2024-25/ रायपुर, दिनांक 14 /11/2024

//संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन//

छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ-1-20/2024/नौ दिनांक 10.10.2024 के निर्देश एवं प्रावधान के परिपालन में संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधीनस्थ राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई बिलासपुर के रिक्त सहायक ग्रेड-03 तृतीय श्रेणी के 01 पद पर संविदा भर्ती नियम 2012 के तहत 01 वर्ष के लिए, संविदा भर्ती की जानी है। जिसके लिए छ.ग. के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 29/11/2024 तक सायं 5.00 बजे तक संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण रायपुर में स्वीकार किये जायेंगे। जिसमें दर्शित पद की संविदा आधार पर नियुक्ति नियत चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। रिक्त पद का वर्गवार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	योग
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	सहायक ग्रेड–03 (वेतन लेवल–04) संविदा वेतन–18000/–	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01
योग		01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01

(1) संविदा भर्ती के लिए पात्रता की शर्तेंः-

(एक) आयुः-

(क)परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात आगामी जनवरी के प्रथम दिन को 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनु. जाति, अनु. जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगा।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थी की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्षों तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों या रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, शिथिलनीय होगीः-

(एक)ऐसे अभ्यर्थी, जो स्थाई शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए,

(दो) ऐसे अभ्यर्थी, जो अस्थाई रूप से पद धारण करता हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा है 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया शासकीय सेवक है उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थाई सेवा की अधिकतम 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः-शब्द "छटनी किए गए शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संगठक इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छः मास तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियोजन के लिए अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(चार)ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक है, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण - शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का रहा हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी किया गया हो या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो,:-

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतो (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिसे दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिन्हेः-

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिकः

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिसमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हो;

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर निरंतर 6 माह से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया है;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया है;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(ड.) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारक है उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(च) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित-जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के उच्तर जाति के संबंध में सामान्य उच्तर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव सम्मान, वीर हनुमान सिंह सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्तर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल/परिषद के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) नगर सेना के स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नान कमीशन अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार पूर्व में की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 08 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी-(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 के खंड घ के उपखंड (एक) तथा (दो) में

क्रमशः

उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन के लिए पात्र पाए गए हों, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात चयन के पूर्व अथवा पश्चात सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं तो वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उनकी सेवा या पद से छटनीं की जाती है तो वे नियुक्ति के लिए पात्र बने रहेंगे। किसी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी।

(ञ) आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेंगे।

(दो) शैक्षणिक अर्हताएं:-

1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।

   अथवा

   पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र।
3. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की(Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति का प्रमाण पत्र (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।

नोटः-**(1) उपरोक्त क्रमांक 1 से 2 का डिप्लोमा/प्रमाण विज्ञापन जारी होने के दिनांक को धारित हो।**

(2) उपरोक्त क्रमांक 3 की दक्षता की जांच, प्रायोगिक दक्षता की कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यार्थियों की दक्षता/कौशल परीक्षा के समय ही की जायेगी।

(2) निरहर्ता:- अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन प्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन के लिए निरर्हित ठहराया जा सकेगा।

(3) अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा:- चयन में प्रवेश के लिये किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कौशल परीक्षा का पत्र जारी नहीं किया गया हो, कौशल परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) पदों हेतु आरक्षणः-

(एक) सेवा में भर्ती के समय छ.ग. लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस अधिनियम के अधीन समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगें।

(दो) महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार लागू होगा।

(तीन) उपरोक्त के अतिरिक्त निःशक्त व्यक्तियों एवं भूतपूर्व सैनिक के लिये शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अनुसार पद आरक्षित रखा जायेगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का सं 49) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में लागू प्रतिशत के अनुसार पदों का आरक्षण 7% रहेगा।

सामान्य नियम एवं शर्तें:-

1. **चयन की प्रक्रिया:-** सहायक ग्रेड-03 पद हेतु शैक्षणिक अर्हता (10+2) कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी। जिसमें कुल पद के अधिकतम 15 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जायेगा। अंतिम चयन सूची हेतु निम्नांकित तालिका अनुसार गणना की जायेगी।

क्र	पदनाम	(10+2) कक्षा का अंक भार	कौशल परीक्षा का अंक भार	कुल अंक भार
1	सहायक ग्रेड-03	70%	30%	100%

   सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जायेगा। प्रतीक्षा सूची आदेश जारी दिनांक से 01 वर्ष के लिए मान्य होगा।
2. उक्त नियुक्ति छ.ग. संविदा भर्ती नियम 2012 के अध्याधीन रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन के भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या निर्देश जारी किया जाता है तो उक्त भर्ती नियम के प्रावधान लागू होगें।
3. छ.ग. राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें।
4. आवेदक को जाति के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. उम्मीद्वार को अपनी आयु सत्यापन हेतु हाई स्कूल प्रमाण-पत्र की (10वीं अंकसूची की स्वप्रमाणित) छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
6. अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्टि स्थान पर स्वयं का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें। आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अनिवार्य है।
7. उम्मीदवार के द्वारा आवेदित पद का नाम, वर्ग स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में दर्शाना अनिवार्य होगा।
8. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जावेगा एवं उम्मीद्वार को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि विज्ञापन में निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जावेगा।
9. चयन के संबंध में चयन समिति द्वारा अनुशंसा किया जायेगा एवं संचालक खेल एवं युवा कल्याण का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
10. भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद अथवा समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार विभागाध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेंगे।
11. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
12. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 29/11/2024 शाम 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक के माध्यम से संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण में स्वीकार किये जायेंगे। आवेदक आवेदन को पूर्ण भरकर, हस्ताक्षर कर एवं संलग्न होने वाले समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर आवेदन किया जाना है। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।
13. समस्त प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने के अंतिम तिथि को जीवित होना अनिवार्य होगा।
14. संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
15. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 06 अनुसार अनर्हता के प्रावधान लागू होंगें।
16. विज्ञापित पद के लिए किये जाने वाला चयन मान्य. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एल.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।
17. चयनित उम्मीद्वारों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।
18. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
19. उक्त संविदा भर्ती प्रथम 01 वर्ष के लिए होगी। जिसकी वार्षिक समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद, परिणाम मूलक नहीं होने पर 30 दिवस की पूर्व सूचना द्वारा संविदा भर्ती समाप्त की जा सकती है। कर्मचारी द्वारा अत्यधिक अनुचित व्यवहार पाये जाने पर संविदा नियुक्ति बिना कारण बतायें तत्काल समाप्त की जा सकती है।
20. यह भर्ती पूर्णतः संविदा है। इस भर्ती के आधार पर कर्मचारी भविष्य में नियमित पद में नियुक्ति नहीं किया जाएगा।

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़ रायपुर

सहायक ग्रेड-03 के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन

प्रति,

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
रायपुर (छ.ग.)

नवीनतम स्व-हस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का फोटो

विषयः-सहायक ग्रेड-03 के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

विज्ञापन दिनांक........................ में विज्ञापित पद का नाम .... के लिए मैं अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूं।

1. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में) :- ....
   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में) :- ....
2. पिता/पति का नाम :- ....
3. जन्मतिथि (अंको में) :- ....
   (शब्दों में) :- ....
4. उम्र (01 जनवरी 2024 की स्थिति में) :- वर्ष............ माह...............दिन...........
5. लिंग (महिला/पुरूष/अन्य) :- ....

क्रमशः

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

क्रमांक 18827/दो-14-1/2024 बिलासपुर, दिनांक 21/11/2024

Adv. No. 01/2024(Legal Assistant)

सूचना

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में लीगल असिस्टेंट के पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच पश्चात् पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की अनंतिम सूची (provisional list) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है।

उक्त पद हेतु अपात्र पाये गये अभ्यर्थियों को यदि कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 29/11/2024 को सायं 05.00 बजे तक अपना दावा-आपत्ति प्रेषित कर सकते है।

विस्तृत जानकारी/सूची छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की वेबसाइट https://highcourt.cg.gov.in पर देखा जा सकता है।

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

आर.ओ.186/जी-242503971.4

(पृष्ठ 15 का शेष)

6. जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. उम्मीदवार जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें):---------
7. वैवाहिक स्थिति :- ....
   क. विवाहित/अविवाहित :- ....
   ख. विवाहित होने पर निम्न जानकारी भरी जावे:-..
   विवाह का दिनांक
   ग. परिवार के संतान का विवरण :- ....
   क्र. नाम पुत्र/पुत्री जन्म दिनांक
   1.
   2.
   3.
7. स्थाई निवास का पता (पिन कोड सहित):- ....
8. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता (पिन कोड सहित):-..
   मो. नं. .... ई-मेल आईडी........
9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक:- ....
10. शैक्षिणक योग्यता -

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

11. क्या अभ्यर्थी के विरूद्ध दण्डिक प्रकरण दर्ज है - हां/ नहीं :- ....
12. यदि हां तो अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण
   क्रमांक एवं निर्णय की जानकारी का उल्लेख करें। :- ....
13. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची -
   1. 10वीं उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति :- ....
   2. स्नातक उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति :- ....
   3. कम्प्युटर हेतु अंकसूची की छायाप्रति :- ....
   4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र :- ....
   5. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (संबंधित है तो) :- ....
   6. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र :- ....
   7. स्वयं पहचान पत्र(IDF) :- ....
   8. अन्य प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक है तो) :- ....

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैंने विज्ञापित पद की पात्रता संबंधी शर्तों को पढ़ लिया है। जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास में है कि इस आवेदन पत्र में सभी प्रविष्टियों पूर्ण एवं सत्य है, त्रुटिपूर्ण एवं छिपाकर तथा अपूर्ण और असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर नियमानुसार मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा तथा चयन/नियुक्ति बिना नोटिस के निरस्त/समाप्त की जावेगी, मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर

स्थान -
दिनांक - नामः- ....
पताः- ....

आर.ओ.185/जी-242503818.3

(पृष्ठ 13 का शेष)

6. जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. उम्मीदवार जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें):-----------
7. वैवाहिक स्थिति :- ....
   क. विवाहित/अविवाहित :- ....
   ख. विवाहित होने पर निम्न जानकारी भरी जावे:-..
   विवाह का दिनांक
   ग. परिवार के संतान का विवरण :- ....
   क्र. नाम पुत्र/पुत्री जन्म दिनांक
   1.
   2.
   3.
7. स्थाई निवास का पता (पिन कोड सहित):- ....
   ....
   ....
   ....
8. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता (पिन कोड सहित):-..
   ....
   ....
   मो. नं. ....
   ई-मेल आईडी......................
9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक:- ....
10. **शैक्षिणक योग्यता -**

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

11. क्या अभ्यर्थी के विरूद्ध दण्डिक प्रकरण दर्ज है - हां/ नहीं :- ....
12. यदि हां तो अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण
   क्रमांक एवं निर्णय की जानकारी का उल्लेख करें। :- ....
13. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची -
   1. 10वीं उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति :- ....
   2. स्नातक उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति :- ....
   3. कम्प्युटर हेतु अंकसूची की छायाप्रति :- ....
   4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र :- ....
   5. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (संबंधित है तो) :- ....
   6. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र :- ....
   7. स्वयं पहचान पत्र ;प्क् त्तवविद्ध :- ....
   8. अन्य प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक है तो) :- ....

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैंने विज्ञापित पद की पात्रता संबंधी शर्तों को पढ़ लिया है। जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास में है कि इस आवेदन पत्र में सभी प्रविष्टियों पूर्ण एवं सत्य है, त्रुटिपूर्ण एवं छिपाकर तथा अपूर्ण और असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर नियमानुसार मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा तथा चयन/नियुक्ति बिना नोटिस के निरस्त/समाप्त की जावेगी, मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर

स्थान -
दिनांक - नामः- ....
पताः- ....
....

आर.ओ.185/जी-242503818.3

संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण

सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, रायपुर, छ.ग.

दूरभाष- 0771-2262177, Email-dir-sportsyw.cg@gov.in

क्रमांक/स्था.158-B/2024-25/ रायपुर, दिनांक 14 /11/2024

//संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन//

छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ-1-20/2024/नौ दिनांक 10.10.2024 के निर्देश एवं प्रावधान के परिपालन में संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधीनस्थ राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई बिलासपुर के रिक्त स्टोर कीपर (वेतन लेवल-06, संविदा वेतन-23350/-) तृतीय श्रेणी के 01 पद पर संविदा भर्ती नियम 2012 के तहत 01 वर्ष के लिए, संविदा भर्ती की जानी है। जिसके लिए छ.ग. के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 29/11/2024 तक सायं 5.00 बजे तक संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण रायपुर में स्वीकार किये जायेंगे। जिसमें दर्शित पद की संविदा आधार पर नियुक्ति नियत चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। रिक्त पद का वर्गवार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

स. क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	योग
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	स्टोर कीपर	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01
योगः–		**01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**01**

(1) संविदा भर्ती के लिए पात्रता की शर्तेः-

(एक) आयुः-

(क) परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात आगामी जनवरी के प्रथम दिन को 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनु. जाति, अनु. जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगा।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थी की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्षों तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों या रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, शिथिलनीय होगीः-

(एक)ऐसे अभ्यर्थी, जो स्थाई शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए,

(दो) ऐसे अभ्यर्थी, जो अस्थाई रूप से पद धारण करता हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा है 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियांे, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन)ऐसे अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया शासकीय सेवक है उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थाई सेवा की अधिकतम 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः-शब्द "छटनी किए गए शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संगठक इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छः मास तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियोजन के लिए अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(चार)ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक है, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण - शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का रहा हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी किया गया हो या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो,

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतो (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिसे दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिन्हेंः-

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिकः

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिसमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हो;

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर निरंतर 6 माह से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया है;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया है;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(ड.) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारक है उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(च) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित-जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के उच्चतर जाति के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव सम्मान, वीर हनुमान सिंह सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल/परिषद के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) नगर सेना के स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नान कमीशन अधिकारियों के संबंध में

क्रमश

उनके द्वारा इस प्रकार पूर्व में की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 08 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी-(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 के खंड घ के उपखंड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन के लिए पात्र पाए गए हों, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात चयन के पूर्व अथवा पश्चात सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं तो वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उनकी सेवा या पद से छटनीं की जाती है तो वे नियुक्ति के लिए पात्र बने रहेंगे। किसी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी।

टिप्पणी-(2) विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए उनके नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी।

(ञ) आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेंगे।

(दो) शैक्षणिक अर्हताएं:-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।
2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र।

(2) निरहर्ता:- अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन प्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन के लिए निरर्हित ठहराया जा सकेगा।

(3) अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निश्चय अंतिम होगा:- चयन के लिये किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निश्चय अंतिम होगा।

(4) पदों हेतु आरक्षण:-

(एक) सेवा में भर्ती के समय छ.ग. लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस अधिनियम के अधीन समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगें।

(दो) महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार लागू होगा।

(तीन) उपरोक्त के अतिरिक्त निःशक्त व्यक्तियों एवं भूतपूर्व सैनिक के लिये शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अनुसार पद आरक्षित रखा जायेगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का सं 49) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में लागू प्रतिशत के अनुसार पदों का आरक्षण 7ः रहेगा।

सामान्य नियम एवं शर्तेः-

1. **चयन की प्रक्रिया:-** स्टोर कीपर पद हेतु शैक्षणिक अर्हता स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी। सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जायेगा। प्रतीक्षा सूची आदेश जारी दिनांक से 01 वर्ष के लिए मान्य होगा।
2. उक्त नियुक्ति छ.ग. संविदा भर्ती नियम 2012 के अध्याधीन रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन के भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या निर्देश जारी किया जाता है तो उक्त भर्ती नियम के प्रावधान लागू होगें।
3. छ.ग. राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें।
4. आवेदक को जाति के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. उम्मीद्वार को अपनी आयु सत्यापन हेतु हाई स्कूल प्रमाण-पत्र की (10वीं अंकसूची की स्वप्रमाणित) छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
6. अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्टि स्थान पर स्वयं का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें। आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अनिवार्य है।
7. उम्मीदवार के द्वारा आवेदित पद का नाम, वर्ग स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में दर्शाना अनिवार्य होगा।
8. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जावेगा एवं उम्मीद्वार को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि विज्ञापन में निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जावेगा।
9. चयन के संबंध में चयन समिति द्वारा अनुशंसा किया जायेगा एवं संचालक खेल एवं युवा कल्याण का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
10. भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद अथवा समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार विभागाध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेंगे।
11. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
12. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 29/11/2024 शाम 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक के माध्यम से संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण में स्वीकार किये जायेंगे। आवेदक आवेदन को पूर्ण भरकर, हस्ताक्षर कर एवं संलग्न होने वाले समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर आवेदन किया जाना है। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।
13. समस्त प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने के अंतिम तिथि को जीवित होना अनिवार्य होगा।
14. संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
15. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 06 अनुसार अनर्हता के प्रावधान लागू होंगें।
16. विज्ञापित पद के लिए किये जाने वाला चयन मान्य. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एल.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।
17. चयनित उम्मीद्वारों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।
18. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
19. उक्त संविदा भर्ती प्रथम 01 वर्ष के लिए होगी। जिसकी वार्षिक समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद, परिणाम मूलक नहीं होने पर 30 दिवस की पूर्व सूचना द्वारा संविदा भर्ती समाप्त की जा सकती है। कर्मचारी द्वारा अत्यधिक अनुचित व्यवहार पाये जाने पर संविदा नियुक्ति बिना कारण बतायें तत्काल समाप्त की जा सकती है।
20. यह भर्ती पूर्णतः संविदा है। इस भर्ती के आधार पर कर्मचारी भविष्य में नियमित पद में नियुक्ति नहीं किया जाएगा।

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़ रायपुर

स्टोर कीपर के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन

प्रति,

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
रायपुर (छ.ग.)

नवीनतम स्व-हस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का फोटो

विषयः- स्टोर कीपर के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

विज्ञापन दिनांक........................ में विज्ञापित पद का नाम .... के लिए मैं अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूं।

1. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में) :- ....
   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में) :- ....
2. पिता/पति का नाम :- ....
3. जन्मतिथि (अंकों में) :- ....
   (शब्दों में) :- ....
4. उम्र (01 जनवरी 2024 की स्थिति में) :-वर्ष.............माह........दिन...........
5. लिंग (महिला/पुरूष/अन्य) :- ....

(शेष पृष्ठ 20 पर)

संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण

सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, रायपुर, छ.ग.

दूरभाष- 0771-2262177, Email-dir-sportsyw.cg@gov.in

क्रमांक/स्था.158-B/2024-25/ रायपुर, दिनांक 14 /11/2024

//संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन//

छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ-1-20/2024/नौ दिनांक 10.10.2024 के निर्देश एवं प्रावधान के परिपालन में संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधीनस्थ मैदानी कार्यालयों एवं राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई बिलासपुर के रिक्त भृत्य (चतुर्थ श्रेणी) के पदों पर संविदा भर्ती नियम 2012 के तहत 01 वर्ष के लिए, संविदा भर्ती की जानी है। जिसके लिए छ.ग. के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 29/11/2024 तक सायं 5.00 बजे तक संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण रायपुर में स्वीकार किये जायेंगे। जिसमें दर्शित पदों की संविदा आधार पर नियुक्ति नियत चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। रिक्त पद का वर्गवार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

स. क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	योग
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	भृत्य (लेवल–01) संविदा वेतन– 14400	05	01	04	02	01	0	01	0	01	0	0	0	0	12
योगः–		05	01	04	02	01	0	01	0	01	0	0	0	0	12

संविदा भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें:-

(एक) आयु सीमाः-18 से 35 वर्ष।

टीपः- 1. शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अनुसार उच्चतर आयु सीमा शिथिल किया जायेगा।

2. वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है के जनवरी के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने न्यूनतम आयु पूर्ण कर ली हो अधिकतम आयु पूर्ण न की हो।

(दो) शैक्षणिक अर्हताएंः-

1. 8वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी को साईकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए।

सामान्य नियम एवं शर्तेः-

1. चयन की प्रक्रियाः- भृत्य पद हेतु विहित शैक्षणिक अर्हता 08 वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी। कुल प्राप्त आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा। सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जायेगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे प्रतीक्षासूची से भरा जाएगा। प्रतिक्षा सूची नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. उक्त नियुक्ति छ.ग. संविदा भर्ती नियम 2012 के अध्याधीन रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन के भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या निर्देश जारी किया जाता है तो उक्त भर्ती नियम के प्रावधान लागू होगें।
3. छ.ग. राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें।
4. आवेदक को जाति के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. उम्मीद्वार को अपनी आयु सत्यापन हेतु हाई स्कूल प्रमाण-पत्र की (10वीं अंकसूची की स्वप्रमाणित) छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
6. अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्टि स्थान पर स्वयं का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें। आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अनिवार्य है।
7. उम्मीदवार के द्वारा आवेदित पद का नाम, वर्ग स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में दर्शाना अनिवार्य होगा।
8. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जावेगा एवं उम्मीद्वार को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि विज्ञापन में निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जावेगा।
9. चयन के संबंध में चयन समिति द्वारा अनुशंसा किया जायेगा एवं संचालक खेल एवं युवा कल्याण का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
10. भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद अथवा समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार विभागाध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेंगे।
11. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
12. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 29/11/2024 शाम 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक के माध्यम से संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण में स्वीकार किये जायेंगे। आवेदक आवेदन को पूर्ण भरकर, हस्ताक्षर कर एवं संलग्न होने वाले समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर आवेदन किया जाना है। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।
13. समस्त प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने के अंतिम तिथि को जीवित होना अनिवार्य होगा।
14. संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
15. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 06 अनुसार अनर्हता के प्रावधान लागू होंगें।
16. विज्ञापित पद के लिए किये जाने वाला चयन मान्य. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एल.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।
17. चयनित उम्मीद्वारों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।
18. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
19. उक्त संविदा भर्ती प्रथम 01 वर्ष के लिए होगी। जिसकी वार्षिक समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद, परिणाम मूलक नहीं होने पर 30 दिवस की पूर्व सूचना द्वारा संविदा भर्ती समाप्त की जा सकती है। कर्मचारी द्वारा अत्यधिक अनुचित व्यवहार पाये जाने पर संविदा नियुक्ति बिना कारण बतायें तत्काल समाप्त की जा सकती है।
20. यह भर्ती पूर्णतः संविदा है। इस भर्ती के आधार पर कर्मचारी भविष्य में नियमित पद में नियुक्ति नहीं किया जाएगा।

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़ रायपुर

भृत्य के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन

प्रति,

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
रायपुर (छ.ग.)

नवीनतम स्व-हस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का फोटो

विषयः- भृत्य के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

विज्ञापन दिनांक........................ में विज्ञापित पद का नाम .... के लिए मैं अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूं।

1. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में) :- ....
   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में) :- ....

क्रमशः

(पिछले पृष्ठ का शेष)

2. पिता/पति का नाम :- ....

3. जन्मतिथि (अंको में) :- ....

(शब्दो में) :- ....

4. उम्र (01 जनवरी 2024 की स्थिति में) :-वर्ष..................माह...............दिन...........

5. लिंग (महिला/पुरूष/अन्य) :- ....

6. जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. उम्मीदवार जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें):- ....

7. वैवाहिक स्थिति :- ....

क. विवाहित/अविवाहित :- ....

ख. विवाहित होने पर निम्न जानकारी भरी जावेः-...............................

विवाह का दिनांक :- ....

ग. परिवार के संतान का विवरण

क्र.	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्म दिनांक
1.			
2.			

7. स्थाई निवास का पता (पिन कोड सहित) :- ....
....
....
....

8. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता (पिन कोड सहित):-..............................
....
....
....

मो. नं. ....ई-मेल आईडी......................

9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांकः- ....

10. शैक्षिणक योग्यता -

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

11. क्या अभ्यर्थी के विरूद्ध दण्डिक प्रकरण दर्ज है - हां/ नहीं :- ....

12. यदि हां तो अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय की जानकारी का उल्लेख करें। :- ....

13. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची -

1. 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति :- ....
2. 10वीं उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति :- ....
3. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र :- ....
4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (संबंधित है तो) :- ....
5. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र :- ....
6. स्वयं पहचान पत्र (ID Proof) :- ....
7. अन्य प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक है तो) :- ....

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैंने विज्ञापित पद की पात्रता संबंधी शर्तों को पढ़ लिया है। जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास में है कि इस आवेदन पत्र में सभी प्रविष्टियॉं पूर्ण एवं सत्य है, त्रुटिपूर्ण एवं छिपाकर तथा अपूर्ण और असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर नियमानुसार मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा तथा चयन/नियुक्ति बिना नोटिस के निरस्त/समाप्त की जावेगी, मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर

स्थान -

दिनांक - नामः- ....

पताः- ....

आर.ओ.185/जी-242503818.3

(पृष्ठ 18 का शेष)

6. जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. उम्मीदवार जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें):- ....

7. वैवाहिक स्थिति :- ....

क. विवाहित/अविवाहित :- ....

ख. विवाहित होने पर निम्न जानकारी भरी जावेः-...............................

विवाह का दिनांक :- ....

ग. परिवार के संतान का विवरण

क्र.	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्म दिनांक
1.			
2.			

7. स्थाई निवास का पता (पिन कोड सहित):- ....
....
....

8. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता (पिन कोड सहित):-..............................
....
....

मो. नं. ....

ई-मेल आईडी......................

9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांकः- ....

10. शैक्षिणक योग्यता -

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

11. क्या अभ्यर्थी के विरूद्ध दण्डिक प्रकरण दर्ज है - हां/ नहीं :- ....

12. यदि हां तो अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय की जानकारी का उल्लेख करें। :- ....

13. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची -

1. 10वीं उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति :- ....
2. स्नातक उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति :- ....
3. कम्प्युटर हेतु अंकसूची की छायाप्रति :- ....
4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र :- ....
5. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (संबंधित है तो) :- ....
6. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र :- ....
7. स्वयं पहचान पत्र (ID proof) :- ....
8. अन्य प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक है तो) :- ....

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैंने विज्ञापित पद की पात्रता संबंधी शर्तों को पढ़ लिया है। जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास में है कि इस आवेदन पत्र में सभी प्रविष्टियॉं पूर्ण एवं सत्य है, त्रुटिपूर्ण एवं छिपाकर तथा अपूर्ण और असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर नियमानुसार मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा तथा चयन/नियुक्ति बिना नोटिस के निरस्त/समाप्त की जावेगी, मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर

स्थान -

दिनांक - नामः- ....

पताः- ....

आर.ओ.185/जी-242503818.3

प्रकृति की हर खूबसूरती से सजा बस्तर

बस्तर घने जंगलों, सर्पिन घाटियों, नदियों, के साथ एक रहस्यमय भूमि है । मनमोहक झरनों, आदिवासी संस्कृति में रंगा और दुर्लभ कलाकृतियों से धनी भी है बस्तर । यहां की मेहमाननवाजी भी बहुत खास है। अपने पारंपरिक व्यंजनों के लिए भी बस्तर बहुत चर्चित हैं। हाल ही में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के अन्य पर्यटन स्थलों के लिए प्रेरणा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर को चित्रकोट में आयोजित बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में बस्तर में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। सरकार बस्तर में पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए ट्रैकिंग ट्रेल और कैंपिंग साइट विकसित करने सहित होम-स्टे की सुलभता हेतु पहल कर रही है। रोजगार की उपलब्धता होने के साथ आय संवृद्धि के लिए राज्य सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु क्षेत्र में सड़कों और परिवहन सुविधाओं का विकास पर भी ध्यान दे रही है।

विश्व पर्यटन में धुड़मारास

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धुड़मारास गांव ने संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देशों से चयनित 20 गांवों में अपनी जगह बनाई है। धुड़मारास ईको-टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो रहा है।

ईको पर्यटन विकास समिति

नागलसर और नेतानार में भी स्थानीय युवाओं की ईको पर्यटन विकास समिति द्वारा गांव में बहने वाली शबरी एवं कांगेर नदी में कयाकिंग एवं बम्बू राफ्टिंग की सुविधा पर्यटकों को मुहैया कराई जा रही है जिससे इस समिति को आमदनी हो रही है।

शासन का सहयोग और सामुदायिक भागीदारी

बेस्ट टूरिज्म विलेज धुड़मारास की कहानी यह साबित करती है कि जब सामुदायिक भागीदारी और शासन का सहयोग मिलता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक और सांस्कृतिक विकास संभव है। यह गांव अब बस्तर के अन्य गांवों के लिए प्रेरणा बन गया है।

चित्रकोट जलप्रपात

चित्रकोट जलप्रपात की ऊँचाई 90 फीट है। यह है कि वर्षा के दिनों में यह लालिमा लिए हुए होता है, तो गर्मियों की चाँदनी रात में यह बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा और सबसे ज्यादा जल की मात्रा प्रवाहित करने वाला जलप्रपात है। यह बस्तर संभाग का सबसे प्रमुख जलप्रपात माना जाता है। इस जल प्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। अलग-अलग अवसरों पर इस जलप्रपात से कम से कम तीन और अधिकतम सात धाराएँ गिरती हैं।

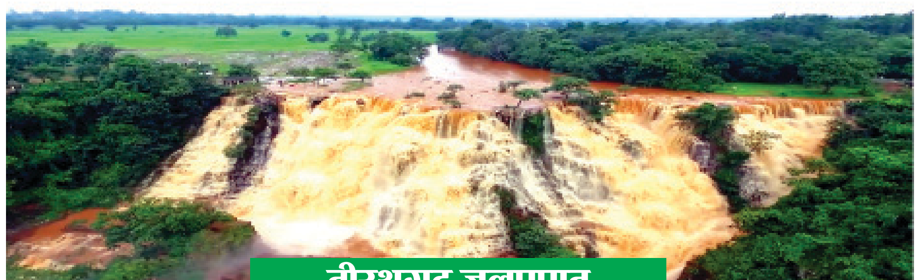

तीरथगढ़ जलप्रपात

मुनगाबहार नदी पर स्थित तीरथगढ़ जलप्रपात चन्द्राकार रूप से बनी पहाड़ी से 300 फीट नीचे सीढ़ी नुमा प्राकृतिक संरचनाओं पर गिरता है, पानी के गिरने से बना दूधिया झाग एवं पानी की बूंदों का प्राकृतिक फव्वारा पर्यटकों को मन्द-मन्द भिगो देता है। करोड़ो वर्ष पहले किसी भूकंप से बने चन्द्र-भ्रंस से नदी के डाउन साइड की चट्टाने नीचे धसक गई एवं इससे बनी सीढ़ी नुमा घाटी ने इस मनोरम जलप्रपात का सृजन किया होगा।

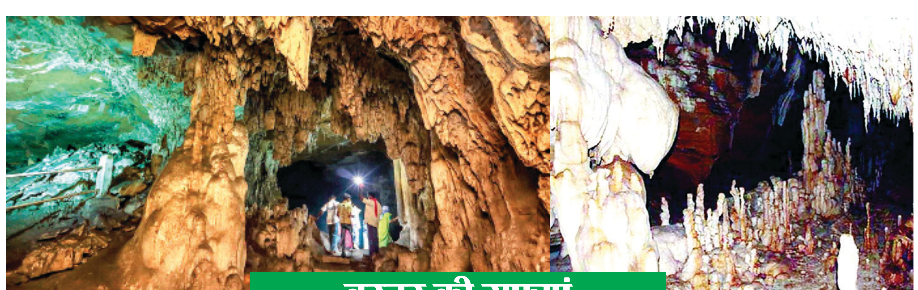

बस्तर की गुफाएं

कैलाश गुफा

बस्तर में तीन असाधारण गुफाएं हैं, कैलाश गुफा इस क्षेत्र की सबसे पुरानी गुफा है। इस गुफा की खोज 22 मार्च 1993 में की गयी । बस्तर के भूमिगत गुफाओं में कैलाश गुफा में सबसे शुरुआती चूना पत्थर के गठन हैं जो बहुत आकर्षक हैं। इस गुफा की ज्ञात लंबाई 120 फीट की गहराई के साथ 1000 फीट है। कुटुम्बसर और दंडक गुफाएं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अन्य आकर्षण हैं। गाइड, टॉर्च पर्यटकों के लिए उपलब्ध हैं। मानसून के दौरान, कैलाश गुफा बंद हो जाती है।

कोटमसर गुफा

कोटमसर गुफा पर्यावरणीय पर्यटन में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। कोटमसर गुफा कोलेब नदी की एक सहायक नदी केगर नदी के किनारे स्थित केंजर चूना पत्थर बेल्ट पर गठित एक चूना पत्थर गुफा है। पर्यटकों की सुविधा के लिए एक ठोस मार्ग बना दिया गया है। गुफा की मुख्य सुरंग लगभग 200 मीटर लंबी है। जहां विभिन्न प्रकार के स्लेथोथेम मनोरम दृश्य हैं। मानसून अवधि में गुफा पर्यटकों के लिए बंद रहता है।

कब घूमने जाएं

बस्तर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आदिवासी संस्कृति और उत्सवों के लिए जाना जाता है। बस्तर घूमने का सबसे अच्छा समय आमतौर पर अक्टूबर से मार्च तक के ठंडे महीनों के दौरान होता है । इस अवधि के दौरान, मौसम सुखद रूप से आरामदायक होता है।

कैसे पहुंचें

हवाई मार्ग द्वारा

छत्तीसगढ़ का मुख्य हवाई अड्डा स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर, जगदलपुर हवाई अड्डा है। बिलासपुर से भी एयर कनेक्टिविटी है। यह भोपाल, इंदौर, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई आदि जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।

ट्रेन द्वारा

जगदलपुर रेलवे लाइन से विशाखापट्नम एवं रायपुर से भी जुड़ा हुआ है । विशाखापत्तनम -किरंदुल ,दुर्ग-जगदलपुर, हावडा-कोरापुट ,हीराकुंड एक्सप्रेस एवं जगदलपुर-विशाखापत्तनम का संचालन किया जा रहा है।

सड़क के द्वारा

राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 30 और रायपुर, भिलाई आदि जैसे कई अन्य राज्य राजमार्गों के एक अच्छी तरह से जुड़ा रोड़ नेटवर्क हैं। रायपुर से जगदलपुर के लिए नियमित बस सेवाएं, एक्सप्रेस या स्लीपर बसे चलती है । जिसकी दूरी जगदलपुर(बस्तर) से 300 किमी है।

कहां ठहरें

- **सर्किट हाउस**
  केन्द्रीय जेल के पास ,जगदलपुर
- **रेस्ट हाउस**
  चित्रकोट ,लोहंडीगुडा जिला बस्तर
- **रेस्ट हाउस (वन विभाग)आसना , जगदलपुर**
- **वन विभाग दण्डामी माडिया रिसोर्ट चित्रकोट ,लोहंडीगुडा ,जगदलपुर**

पाठकों के पत्र

मैं रोजगार और नियोजन अखबार 2010 से पढ़ रहा हूं मेरे करियर में रोजगार और नियोजन अखबार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। रोजगार और नियोजन पत्रिका मे विभिन्न रिक्तियों के बारे मे सूचना प्राप्त होती थी तथा शासन की योजनाओं एवं पत्रिका मे प्रकाशित लेख cgpsc मुख्य परीक्षा मे उत्तर लेखन मे मेरे लिए सहायक बहुत सिद्ध हुई। छत्तीसगढ़ राज्य की भर्ती की सूचना के साथ-साथ परीक्षा की तैयारी में मुख्य परीक्षा मे गुणवत्तापूर्ण उत्तर लेखन तथा निबंध लेखन हेतु पत्रिका मे प्रकाशित लेख मेरे लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ।मैं तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे, विद्यार्थियों को कहना चाहुंगा कि पत्रिका मे प्रकशित लेख एवं शासन की योजनाओं का नियमित अध्ययन कर शार्ट नोट्स बना कर तैयारी करने से इसका लाभ प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा मे निश्चित रूप से प्राप्त होगा।

अमित वर्मा,
जिला रोजगार अधिकारी

- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com

एक शिक्षिका के रूप में मेरे करियर निर्माण में रोजगार और नियोजन अखबार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पढ़ाई पूरी करने के बाद, यह अखबार मेरे लिए नौकरी की हर संभव जानकारी का प्रमुख स्रोत बना। शिक्षक पदों की रिक्तियों, आवेदन प्रक्रियाओं, और साक्षात्कार की तैयारी में इसमें उपलब्ध सामग्री ने मेरा मार्गदर्शन किया। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में सरकारी और शैक्षणिक भर्तियों की सूचनाएं इस अखबार के माध्यम से समय पर मिलीं। इसमें प्रकाशित पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र और विशेषज्ञों के टिप्स मेरी परीक्षा तैयारी के लिए बेहद मददगार रहे। आज मैं जो कुछ भी हूं, उसमें इस अखबार का बड़ा योगदान है। मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को यही कहूंगी कि सही दिशा में मेहनत करें और रोजगार और नियोजन जैसे विश्वसनीय स्रोतों का लाभ उठाएं।

डेमेश्वरी गजेंद्र,
प्रधान पाठक

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्नोत्तरी

1. रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी, कार्यसक्षम और जनहितैषी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन सा एप बनाया है
(a) सुगम (b) सुविधा
(c) सरल (d) सुन्दर
Answer - (a)

2. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बगीचा विकास खंड में 21 स्व-सहायता समूह की महिलाओं को किस योजना के तहत बिजली किट प्रदान किए।
(a) बिजली सहेली (b) बिजली सखी
(c) बिजली संगनी (d) बिजली मित्र
Answer - (b)

3. एक नवंबर 2024 से ट्रेनों में अब आरक्षित टिकट 120 की जगह सिर्फ कितने दिन पहले ही करवा सकेंगे
(a) 15 (b) 30
(c) 60 (d) 90
Answer - (c)

4. सोनीपत-जींद के बीच प्रदूषण रहित कौन सी ट्रेन देश में पहली बार दौड़ेगी
(a) कार्बन ट्रेन (b) नाईट्रोजन ट्रेन
(c) आक्सीजन ट्रेन (d) हाइड्रोजन ट्रेन
Answer - (d)

5. गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (एसओयू) के कैंपस में बन रहे म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम्स ऑफ इंडिया में कितने भारतीय राजवंश-साम्राज्यों का संग्रहालय बनने जा रहा है?
(a) 625 (b) 456
(c) 256 (d) 562
Answer - (d)

6. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जगह .... को सुप्रीम कोर्ट का 51वां मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) नियुक्त किया
(a) न्यायमूर्ति सूर्यकान्त
(b) न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना
(c) जस्टिस संजीव खन्ना
(d) न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी
Answer - (c)

7. अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता (एआईएफएसएम) में छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त कर ओवरऑल चैम्पियन बना। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिसमे.......... जीता।
(a) 33 स्वर्ण, 44 रजत, 97 कांस्य
(b) 33 स्वर्ण, 44 रजत, 79 कांस्य
(c) 79 स्वर्ण, 44 रजत, 33 कांस्य
(d) 97 स्वर्ण, 44 रजत, 33 कांस्य
Answer - (d)

8. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) का अनुमान पृथ्वी की कक्षा में मानव निर्मित अंतरिक्ष मलबे का कुल कितना वजन है, जो 90 ब्लू व्हेल के बराबर है।
(a) 31 हजार टन
(b) 13 हजार टन
(c) 131 हजार टन
(d) 313 हजार टन
Answer - (b)

9. जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए कांकेर जिले की किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
(a) मासूलपानी
(b) माचपल्ली
(c) मांडरादरहा
(d) मंगतासाल्हेभाट
Answer - (a)

10. एक परीक्षा में, 41% छात्र अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होते हैं, 35% छात्र भूगोल में और 39% छात्र इतिहास में अनुत्तीर्ण होते हैं, 5% छात्र तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, 14% छात्र अर्थशास्त्र और भूगोल में, 21% छात्र भूगोल और इतिहास में और 18% छात्र इतिहास और अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होते हैं। केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिये।
(A) 16% (B) 14%
(C) 12% (D) 10%
Answer - (b)

11. एक कॉलेज छात्रावास के भोजनालय में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का भोजन है। 10 दिन बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित किया गया तो पता चला कि भोजन अब 21 दिन और चलेगा। कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित किया गया था?
(A) 92 (B) 110
(C) 98 (D) 100
Answer - (d)

12. एक संख्या B एक अन्य संख्या C से 20% कम हैं तथा C, 200 से 5% अधिक हैं, तो B बराबर हैं-
(A) 158 (B) 153.85
(C) 168 (D) 210
Answer - (c)

13. 90, 120 तथा 150 के महत्तम समापवर्तक (HCF) तथा लघुतम समापवर्त्य (LCM) का योगफल है
(A) 1830 (B) 960
(C) 830 (D) 1800
Answer - (a)

14. 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर हैं?
(A) 99989
(B) 9999890
(C) 99089
(D) 989898
Answer - (a)

15. 20 पेन 120 के खरीदे गए और 20% के लाभ पर बेच दिए गए । एक पेन का विक्रय मूल्य होगा -
(A) 7.20 (B) 5.40
(C) 6.40 (D) 7.40
Answer - (a)

16. अंकिता ने अपने मासिक वेतन का एक चौथाई भाग अपने बेटे की स्कूल फीस के लिए दे दिया। शेष बचे रुपयों में से 500 रूपए का उसने बिजली का बिल भर दिया। अब अंकिता के पास 1000 रूपए बचे हैं। बताइए अंकिता ने अपने बेटे की फीस के लिए कितने रूपए दिए हैं?
(A) 1500 (B) 500
(C) 1000 (D) 2000
Answer - (d)

17. कितने वर्षों में 1,800 की राशि 2% वार्षिक की साधारण व्याज की दर से 2,160 हो जायेगी ?
(A) 15 (B) 20
(C) 10 (D) 25
Answer - (c)

18.2 मी. लम्बी, 1 मी. ऊँची तथा 10.5 सेमी. मोटी एक दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए यदि एक ईंट का माप 15 सेमी 2.0 सेमी × 7 सेमी हैं?
(A) 1500 (B) 2100
(C) 1000 (D) 1100
Answer - (c)

19. एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान हैं। यदि वर्ग की भुजा 8 मी. हैं तथा आयत की लम्बाई 9 मी. हैं, तो आयत की चौड़ाई हैं
(A) 14 मी. (B) 15 मी.
(C) 16 मी. (D) 7 मी.
Answer - (d)

20. एक खेत 210 मीटर लंबा तथा 310 मीटर चौड़ा हैं। एक धावक को इस खेत के पाँच चक्कर लगाने हैं। 2.6 किमी/घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा ?
(A) 10 घंटे (B) 2 घंटे
(C) 1 घंटे (D) 4 घंटे
Answer - (b)

प्रस्तुति : धनेश कुमार दिवाकर

21. **प्रश्न में, बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई हैं और दाई ओर (A), (B), (C) और (D) से चिन्हित चार उत्तर आकृतियाँ दर्शाई गई हैं।**

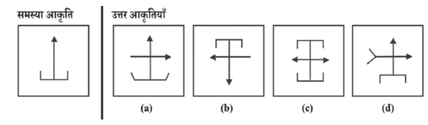

Answer - (B)

22. प्रश्न में, बाई ओर एक समस्या आकृति दी गई हैं और दाई ओर (A), (B), (C) और (D) से चिन्हित चार उत्तर आकृतियाँ दर्शाई गई हैं। उत्तर आकृतियों से उस आकृति का चयन करें जिसे समस्या आकृति में उपलब्ध कट-आउट से बनाया जा सकता हो

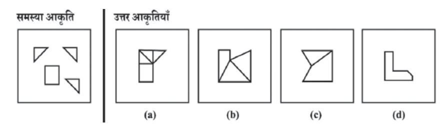

Answer - (A)

23. प्रश्न में, बाईं ओर समस्या आकृति में दर्शाए अनुसार कागज़ के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया तथा दाई ओर (A), (B), (C) और (D) से चिन्हित चार उत्तर आकृतियाँ दर्शाई गई हैं। कागज़ के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसी ही आकृति उत्तर आकृतियों से चुने।

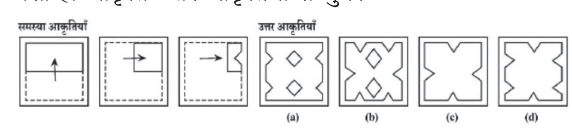

Answer - (A)

24. प्रश्न में, बाईं ओर समस्या आकृति दर्शायी गई हैं तथा दाई ओर (A), (B), (C) और (D) से चिन्हित चार उत्तर आकृतियाँ दर्शाई गई हैं। किसी दर्पण XY के अनुदिश रखे जाने पर समस्या आकृति के सही दर्पण प्रतिबिम्ब को उत्तर आकृतियों से चुने।

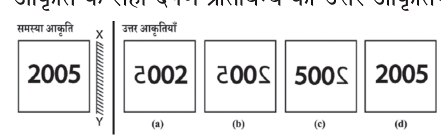

Answer - (B)

25. प्रश्न संख्या 21 से 24 में, समस्या आकृति के रूप में ज्यामितीय आकृति (त्रिभुज, वर्ग, वृत्त) के एक बाग़ को बाईं ओर दर्शाया गया हैं तथा दाई ओर दूसरे भाग को उत्तर आकृति के रूप में (A), (B), (C) और (D) से दर्शाया गया हैं। दाई ओर की आकृति से ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करने वाली आकृति को ज्ञात करें

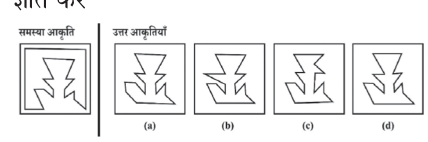

Answer - (D)

भारत की सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हैं। विद्या का केंद्र होने के कारण अनेक देशों से लोग यहां के महान गुरुओं के पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उन दिनों भारत व्यापार एवं वाणिज्य का भी केन्द्र था। भरतीय वस्तुएं विश्व भर में प्रसिद्ध थी। पूर्व तथा पश्चिम से व्यापारी स्थलीय मार्ग व समुद्री मार्ग से भारतीय माल खरीदने आते थे। भारत अब फिर से वाणिज्य और उद्योग का केन्द्र बन रहा हैं। अनेक देशों को भारतीय वस्तुएँ भेजी जाती हैं। भारतीय तकनीशियन तथा वैज्ञानिक भारत से बाहर अनेक देशों में कार्य कर रहे है।

1. लोग भारत आते थे -
(A) शिक्षा प्राप्त करने के लिए (B) शिक्षा देने के लिए
(C) आनन्द लेने के लिए (D) माल बेचने के लिए

2. भारत विद्या का केन्द्र था क्योंकि :
(A) यह एक केन्द्रीय स्थान था (B) इसकी सभ्यता प्राचीन थी
(C) यहाँ महान गुरु थे (D) यहाँ अत्यंत कुशल कारीगर थे

3. भारत इनका भी केन्द्र था:
(A) कला एवं संस्कृति का (B) व्यापार एवं प्रौद्योगिकी का
(C) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का(D) संगीत एवं नृत्य का

4. इस गद्यांश के लिए कौन-सा शीर्षक सबसे अधिक उपयुक्त हैं?
(A) भारत जो महान था(B) विद्या का केन्द्र था
(C) भारत में व्यापार और वाणिज्य(D) भारत में आने वाले विदेशी यात्री

विष्णु के सुशासन से
सँवर रहा छत्तीसगढ़
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री,छत्तीसगढ़
युवाओं के लिए नौकरियों
के खुले द्वार
विभिन्न शासकीय भर्तियों में आयु सीमा
में मिली 5 वर्ष की छूट
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से
जुड़ने के लिए QR CODE स्कैन करें।
हमने बनाया है, हम ही सँवारेंगे
Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

डॉ. रवि मित्तल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लाट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित, छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक-जवाहर लाल दरियो